

बांध सुरक्षा विधेयक, 2019

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. संघ के नियंत्रण के औचित्य के बारे में घोषणा ।
3. लागू होना ।
4. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति

5. राष्ट्रीय समिति का गठन ।
6. राष्ट्रीय समिति के कृत्य ।
7. राष्ट्रीय समिति की बैठकें ।

अध्याय 3

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण

8. राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना ।
9. प्राधिकरण के कृत्य ।
10. प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी ।

अध्याय 4

राज्य बांध सुरक्षा समिति

11. राज्य बांध सुरक्षा समिति का गठन ।
12. राज्य समिति के कृत्य ।
13. राज्य समिति की बैठकें ।

अध्याय 5

राज्य बांध सुरक्षा संगठन

14. राज्य बांध सुरक्षा संगठन की स्थापना ।
15. राज्य बांध सुरक्षा संगठन के अधिकारी और कर्मचारी ।

अध्याय 6

बांध सुरक्षा से संबंधित कर्तव्य और कृत्य

16. निगरानी और निरीक्षण ।
17. विनिर्दिष्ट बांधों की भेद्यता और परिसंकट वर्गीकरण ।
18. लॉग बुकों का रखा जाना ।
19. बांध संबंधी विफलता और बांध संबंधी घटनाओं के अभिलेख ।
20. विनिर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा संबंधी अनुदेश ।

खंड

21. अनुरक्षण और मरम्मतों के लिए निधियां ।
22. तकनीकी प्रलेखीकरण ।
23. विनिर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की अर्हताएं और अनुभव ।
24. राज्य बांध सुरक्षा संगठन और प्राधिकरण की अधिकारिता ।
25. अन्वेषण की लागत ।
26. बांधों का सन्निर्माण या परिवर्तन ।
27. जलाशयों का आरंभिक भराव ।
28. प्रचालन और अनुरक्षण ।
29. विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी का उत्तरदायित्व ।

अध्याय 7**सुरक्षा, निरीक्षण और आंकड़े संग्रहण**

30. बांध सुरक्षा इकाई ।
31. निरीक्षण ।
32. प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध में प्रतिष्ठापित किए जाने वाले उपकरण ।
33. जल-मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना ।
34. भूकंपविज्ञानी केंद्र का प्रतिष्ठापन ।

अध्याय 8**आपात कार्य योजना और आपदा प्रबंधन**

35. विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी की बाध्यता ।
36. आपात कार्य योजना ।
37. अन्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारियों को सहायता ।

अध्याय 9**व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन**

38. व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन ।
39. कतिपय दशाओं में अनिवार्य मूल्यांकन ।
40. व्यापक मूल्यांकन की रिपोर्ट ।

अध्याय 10**अपराध और शास्तियां**

41. बाधा डालने, आदि के लिए दंड ।
42. सरकार के विभागों द्वारा अपराध ।
43. कंपनियों द्वारा अपराध ।
44. अपराध का संज्ञान ।

अध्याय 11**प्रकीर्ण**

45. बांधों की सुरक्षा प्रास्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट ।
46. विनिर्दिष्ट बांधों से भिन्न बांधों के संबंध में सुरक्षा उपाय ।
47. भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर अवस्थित बांधों के संबंध में सुरक्षा उपाय ।
48. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।
49. अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति ।

खंड

50. केंद्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।
51. रिक्तियों, आदि से राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति, प्राधिकरण और राज्य बांध सुरक्षा समिति की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।
52. केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।
53. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।
54. प्राधिकरण द्वारा विनियम बनाने की शक्ति।
55. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।
56. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।
पहली अनुसूची ।
दूसरी अनुसूची ।
तीसरी अनुसूची ।

2019 का विधेयक संख्यांक 190

[दि डेम सेफ्टी बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

बांध सुरक्षा विधेयक, 2019

बांध संबंधी विफलता से संबंधित आपदाओं के निवारण के लिए विनिर्दिष्ट
बांधों की निगरानी, निरीक्षण, प्रचालन और अनुरक्षण का उपबंध करने
और उनके सुरक्षित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए
संस्थागत क्रियाविधि तथा उनसे संबंधित या
उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह
अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बांध सुरक्षा अधिनियम, 2019 है ।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।
- (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ ।

संघ के नियंत्रण के औचित्य के बारे में घोषणा ।

2. यह घोषित किया जाता है कि लोक हित में यह समीचीन है कि संघ को विनिर्दिष्ट बांध के लिए एकरूपात्मक बांध सुरक्षा प्रक्रिया का विनियमन, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित विस्तार तक अपने नियंत्रण में लेना होगा ।

लागू होना ।

3. इस अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय, यह अधिनियम प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध के ऐसे स्वामी को लागू होगा, जो—

(क) पब्लिक सेक्टर उपक्रम या, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या एक या अधिक सरकारों के संयुक्त रूप से स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन संस्था या निकाय है ; और

(ख) यथास्थिति, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन उपक्रम या कंपनी या संस्था या निकाय से भिन्न कोई उपक्रम या कंपनी या संस्था या निकाय है ।

परिभाषाएं ।

4. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “बांध का परिवर्तन” से ऐसे परिवर्तन या मरम्मत अभिप्रेत हैं, जो बांध या जलाशय की सुरक्षा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता हो ;

(ख) “वार्षिक रिपोर्ट” से ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है, जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान प्राधिकरण और राज्य बांध सुरक्षा संगठन के क्रियाकलाप और उनकी अधिकारिता के भीतर आने वाले विनिर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा प्रास्थिति दी गई है ;

(ग) “अनुलग्न संरचना” से ऐसी संरचना अभिप्रेत है जो,—

(i) अधिप्लवमान मार्ग है, चाहे वे बांध में हों या उससे पृथक् हों ;

(ii) निम्न सतह निकास संरचना और सुरंगें, पाइप लाइनें या निर्गम द्वार जैसी जल नालियां हैं, चाहे वे बांध के या उसके अन्त्याधारों या जलाशय किनारों के आर-पार हों ;

(iii) जल-यांत्रिक उपस्कर है, जिसके अंतर्गत द्वार, कपाट, उद्वाहक और उत्थापक भी हैं ;

(iv) ऊर्जा क्षय और नदी प्रशिक्षण संरचना ; और

(v) बांध या उसके जलाशय या जलाशय के किनारे के साथ समन्वित रूप से कार्य करने वाली अन्य सहयोजित संरचनाएं हैं ;

(घ) “प्राधिकरण” से धारा 8 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ङ) “बांध” से जल को अवरुद्ध करने या उसे व्यपवर्तन करने की दृष्टि से कोई ऐसा कृत्रिम अवरोधक और नदियों या उसकी सहायक नदियों के आर-पार संनिर्मित अनुलग्न संरचना अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत बैराज, बंधिका और इसी प्रकार के जल परिबंधन संरचनाएं भी हैं, किंतु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं—

(क) जलसेतु और नौपरिवहन जलसरणी और समान प्रकार की जल परिवहन संरचनाएं ;

(ख) बाढ़ तटबंध, कुल्या, नियामक बंध तथा समान प्रकार की प्रवाह

नियंत्रण संरचनाएं ;

(च) “बांध संबंधी विफलता” से किसी बांध की संरचना या प्रचालन में ऐसी विफलता अभिप्रेत है, जिसके कारण रोके हुए जल का ऐसा अनियंत्रित प्रवाह होता है, जिसके परिणामस्वरूप निम्न सतह की ओर जल का भराव होता है, जिससे लोगों का जीवन और संपत्ति तथा वनस्पति, प्राणिजात और नदीय पारिस्थितिकी सहित पर्यावरण प्रभावित होता है ;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, प्रचालन संबंधी विफलता से बांध के ऐसे दोषपूर्ण प्रचालन अभिप्रेत हैं, जो प्रचालन और अनुरक्षण निर्देशिका से असंगत हैं ;

(छ) “बांध संबंधी घटना” से बांध को होने वाली ऐसी सभी समस्याएं अभिप्रेत हैं, जो “किसी बांध संबंधी विफलता” को अवक्रमित नहीं करती हैं और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

(i) बांध और उससे अनुलग्न संरचनाओं के प्रति कोई संरचनात्मक नुकसान ;

(ii) बांध में के किसी उपकरण का कोई अप्रायिक पठन ;

(iii) बांध के ढांचे से कोई अप्रायिक प्रस्राव या रिसाव ;

(iv) प्रस्राव या रिसाव व्यवस्था में कोई अप्रायिक परिवर्तन ;

(v) बांध के नीचे जानकारी में आई क्वथन या उत्सृत परिस्थितियां ;

(vi) किसी बांध के आधार या ढांचे से या उसकी किन्हीं बीथियों में से, किसी प्रस्राव या रिसाव में कोई आकस्मिक रोक या अप्रायिक कमी ;

(vii) फाटकों की कोई अपक्रिया या उनका अनुपयुक्त प्रचालन ;

(viii) ऐसी बाढ़ की उत्पत्ति, जिसका शिखर बांध की उपलब्ध बाढ़ निस्सार क्षमता या अनुमोदित डिजाइन बाढ़ के सत्तर प्रतिशत से अधिक है ;

(ix) किसी ऐसी बाढ़ की उत्पत्ति, जिसके परिणामस्वरूप उपलब्ध खुली जगह पर या अनुमोदित डिजाइन खुली जगह पर अधिक्रमण होता है ;

(x) अधिप्लवन-मार्ग या पक्की ढाल, आदि के अनुप्रवाह से पांच सौ मीटर तक निकट प्रतिवास में कोई अप्रायिक अपक्षरण ; और

(xi) कोई अन्य ऐसी घटना, जिसका कोई प्रजावान बांध इंजीनियर, बांध सुरक्षा की चिंताओं से संबंध स्थापित कर सके;

(ज) “बांध सुरक्षा इकाई” से धारा 30 में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट बांध की बांध सुरक्षा इकाई अभिप्रेत है ;

(झ) “संकट स्थिति” से बांध या अनुलग्न संरचना या उसके जलाशय या जलाशय के किनारे में ऐसी स्थितियों का होना या ऐसा संभावित विकास अभिप्रेत है जो, यदि उन पर कार्य न किया जाए तो, बांध को उसके आशयित फायदों के सुरक्षित प्रचालन में बाधा पहुंचा सकती है या लोगों के जीवन और संपत्ति को तथा पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वनस्पति, प्राणिजात और नदीय

पारिस्थितिकी भी है, गंभीर जोखिम पहुंचा सकती हैं ;

(ज) “प्रलेखीकरण” से बांधों के अन्वेषण, डिजाइन, संनिर्माण, प्रचालन, निष्पादन, अनुरक्षण, मुख्य मरम्मत, परिवर्तन, विस्तार और सुरक्षा से संबंधित इलैक्ट्रॉनिक अभिलेखों सहित सभी स्थायी अभिलेख अभिप्रेत हैं और इनके अंतर्गत डिजाइन जापन, संनिर्माण रेखाचित्र, भूगर्भीय रिपोर्टें, बांध की अनुकारक संरचना और हाइड्रोलिक प्रतिक्रिया से संबंधित विशेष अध्ययन रिपोर्टें, डिजाइन और रेखाचित्रों में किए गए परिवर्तन, क्वालिटी नियंत्रण अभिलेख, आपात कार्रवाई योजना, प्रचालन और अनुरक्षण नियमावली, यंत्रीकरण मापन, निरीक्षण और परीक्षण रिपोर्टें, प्रचालन संबंधी रिपोर्ट तथा बांध सुरक्षा पुनर्विलोकन रिपोर्टें और अन्य समान प्रकार की रिपोर्टें भी हैं ;

(ट) “बांध का विस्तार” से विद्यमान बांध या जलाशय के क्षेत्र में कोई परिवर्तन अभिप्रेत है, जिससे जल भंडारण की ऊंचाई में वृद्धि होती है या बांध द्वारा रोके गए जल की मात्रा में वृद्धि होती है ;

(ठ) “सरकार” से, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार अभिप्रेत है ;

(ड) “निरीक्षण” से बांध और उसके अनुलग्न संरचना के किसी संघटक की स्थल पर परीक्षा अभिप्रेत है ;

(ढ) “अन्वेषण” से किसी बांध और उसकी अनुलग्न या उसके किसी भाग से संबंधित किसी विनिर्दिष्ट समस्या के साक्ष्य का संग्रहण, उसकी विस्तृत परीक्षा, विश्लेषण या संवीक्षा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत प्रयोगशाला परीक्षण, स्वास्थ्यने परीक्षण, भू-गर्भीय पूर्वक्षण, माडल परीक्षण और समस्या का सुनिश्चित अनुकार भी है ;

(ण) “राष्ट्रीय समिति” से धारा 5 के अधीन गठित राष्ट्रीय बांध सुरक्षा पर समिति अभिप्रेत है ;

(त) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और “अधिसूचित करना” पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(थ) “बांध का प्रचालन” से बांध के उपयोग, नियंत्रण और कार्यकरण का प्रत्येक ऐसा तत्व अभिप्रेत है, जो प्राथमिक रूप से जल के भंडारण, उसकी निकासी और बांध की ढांचागत सुरक्षा को प्रभावित कर सकेगा ;

(द) “प्रचालन और अनुरक्षण निर्देशिका” से ऐसे लिखित अनुदेश अभिप्रेत हैं, जिनमें प्रचालन प्रक्रियाएं, अनुरक्षण प्रक्रियाएं, आपात प्रक्रियाएं और बांध के सुरक्षित प्रचालन के लिए आवश्यक कोई अन्य विशेषता उपबंधित हैं ;

(ध) “विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी” से केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार या संयुक्त रूप से एक या अधिक सरकारें या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्थानीय प्राधिकारी या कंपनी और ऐसे कोई या सभी व्यक्ति या संगठन अभिप्रेत हैं, जिनका विनिर्दिष्ट बांध पर स्वामित्व है, नियंत्रण है, प्रचालन करते हैं, या अनुरक्षण करते हैं ;

(न) “विहित” से, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(प) “विनियमों” से इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए

विनियम अभिप्रेत हैं ;

(फ) “उपचारात्मक उपाय” से ऐसे संरचनात्मक या असंरचनात्मक उपाय अभिप्रेत हैं जो विनिर्दिष्ट बांध की संकटकालीन स्थिति को दूर करने या कम करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट बांध या अनुलग्न संरचना या जलाशय या जलाशय किनारे या जलाशय के जल-ग्रहण क्षेत्र के संबंध में अपेक्षित हों ;

(ब) किसी विनिर्दिष्ट बांध के संबंध में, “जलाशय” से किसी विनिर्दिष्ट बांध द्वारा अवरुद्ध जल का कोई विस्तार अभिप्रेत होगा ;

(भ) “विनिर्दिष्ट बांध” से इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात् सन्निर्मित ऐसा कोई बांध अभिप्रेत है, जो—

(i) साधारण आधार क्षेत्र के निम्नतम भाग से बांध के शिखर तक मापित ऊंचाई में पन्द्रह मीटर से अधिक है ; या

(ii) ऊंचाई में दस मीटर से पन्द्रह मीटर के बीच है और निम्नलिखित में से कम से कम एक को पूरा करता है, अर्थात् :—

(अ) शिखर की लंबाई कम से कम पांच सौ मीटर है ; या

(आ) बांध द्वारा विरचित जलाशय की क्षमता कम से कम दस लाख घनमीटर है ;

(इ) बांध द्वारा विसर्जन किया गया अधिकतम बाढ़ निस्सारण प्रति सेकेंड कम से कम दो हजार घनमीटर है ;

(ई) बांध में विशिष्ट रूप से कठिन आधार संबंधी समस्याएं हैं ;

(उ) बांध अप्रायिक डिजाइन का है ;

(म) “राज्य समिति” से धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य बांध सुरक्षा समिति अभिप्रेत है ;

(य) “राज्य बांध सुरक्षा संगठन” से धारा 14 के अधीन स्थापित राज्य बांध सुरक्षा संगठन अभिप्रेत है ; और

(यक) “भेद्यता और परिसंकट वर्गीकरण” से बांधों की स्थिति, अवस्थान, नुकसान या परिसंकट संभाव्यता के आधार पर उनके वर्गीकरण की प्रणाली या प्रणालियां अभिप्रेत हैं ।

अध्याय 2

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति

5. (1) उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति नाम से ज्ञात एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया जाएगा, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग — अध्यक्ष, पदेन ;

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दस से अनधिक बांध इंजीनियरी या बांध सुरक्षा से संबंधित विषयों में कार्य करने वाले, केंद्रीय सरकार के ऐसे प्रतिनिधि, जो उस सरकार के संयुक्त सचिव या समतुल्य रैंक से नीचे के न

राष्ट्रीय समिति
का गठन ।

हों — सदस्य, पदेन ;

(ग) केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों के मुख्य इंजीनियर या समतुल्य स्तर के चक्रानुक्रम द्वारा नामनिर्दिष्ट सात से अनधिक प्रतिनिधि — सदस्य, पदेन ; और

(घ) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट बांध सुरक्षा के क्षेत्र में के और सहबद्ध क्षेत्रों में के तीन से अनधिक विशेषज्ञ — सदस्य ।

(2) राष्ट्रीय समिति का गठन, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा और उसके पश्चात् प्रत्येक तीन वर्ष के लिए उसका पुनर्गठन किया जाएगा ।

राष्ट्रीय समिति के कृत्य ।

6. (1) राष्ट्रीय समिति पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी, जो आपदाओं से संबंधित बांध संबंधी विफलता का निवारण करने के लिए और बांध सुरक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए आवश्यक हों ।

(2) राष्ट्रीय समिति, अपने कृत्यों के निर्वहन में उतनी उपसमितियां गठित कर सकेगी, जितनी वह अपनी सहायता के लिए और राष्ट्रीय समिति की सचिवालयिक सहायता के लिए आवश्यक समझे और ऐसी उपसमितियां प्राधिकरण द्वारा उपबंधित की जाएंगी ।

(3) राष्ट्रीय समिति द्वारा संगृहीत या जनित जानकारी और सूचना का प्रसार प्राधिकरण द्वारा सभी पणधारियों को किया जाएगा ।

राष्ट्रीय समिति की बैठकें ।

7. (1) राष्ट्रीय समिति की बैठक ऐसे समय और स्थानों पर होगी तथा वह अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं :

परंतु राष्ट्रीय समिति वर्ष में दो बार बैठक करेगी और एक बैठक वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पहले आयोजित की जाएगी ।

(2) राष्ट्रीय समिति किसी विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी के प्रतिनिधि को और बांध सुरक्षा में ऐसे अन्य विशेषज्ञों को (जिनके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ भी हैं), जो वह अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए समुचित समझे, आमंत्रित कर सकेगी ।

(3) राष्ट्रीय समिति पर उपगत व्यय ऐसी रीति में होगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

अध्याय 3

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना ।

8. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी ।

(2) प्राधिकरण की अध्यक्षता, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले किसी ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो भारत सरकार के अपर सचिव या समतुल्य की पंक्ति से नीचे का न हो और जिसके पास बांध इंजीनियरी और बांध सुरक्षा प्रबंध से संबंधित समस्याओं का निपटारा करने का ज्ञान और पर्याप्त अर्हता, अनुभव और क्षमता हो ।

(3) प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में होगा और

प्राधिकरण भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालयों की स्थापना कर सकेगा ।

(4) प्राधिकरण ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, उसे समय-समय पर दिए जाएं ।

9. (1) प्राधिकरण, दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विनिर्दिष्ट बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण और अनुरक्षण के लिए राष्ट्रीय समिति द्वारा तैयार की गई नीति, मार्गदर्शक सिद्धांतों और मानकों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों और ऐसे प्रयोजनों के लिए उसे किसी व्यक्ति को हाजिर करने और कोई ऐसी जानकारी, जो आवश्यक हो, मांगने की शक्ति होगी ।

प्राधिकरण के कृत्य ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण राज्यों के राज्य बांध सुरक्षा संगठनों के बीच या किसी राज्य बांध सुरक्षा संगठन और उस राज्य में के विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी के बीच किसी मुद्दे का समाधान करने के लिए सभी प्रयास करेगा ।

(3) इस अधिनियम के अधीन विषयों के संबंध में प्राधिकरण का प्रत्येक विनिश्चय अंतिम और उस विवाद के सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा ।

10. (1) केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों का पालन करने के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जितने वह आवश्यक समझे, उपलब्ध कराएगी :

प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी ।

परंतु ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के पास बांध सुरक्षा के क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत बांध डिजाइन, जलीय यांत्रिकी इंजीनियरी, जल-विज्ञान, भू-तकनीकी अन्वेषण, साधन विनियोग, बांध-पुनर्वास के क्षेत्र या ऐसे अन्य क्षेत्र भी हैं, ऐसी अर्हताएं और अनुभव होगा, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के कृत्य, शक्तियां और उनकी सेवा के निबंधन तथा शर्तें वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

अध्याय 4

राज्य बांध सुरक्षा समिति

11. (1) उस तारीख से, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक राज्य बांध सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

राज्य बांध सुरक्षा समिति का गठन ।

(क) राज्य के बांध सुरक्षा के लिए उत्तरदायी विभाग का मुख्य इंजीनियर या समतुल्य अधिकारी — अध्यक्ष, पदेन ;

(ख) ऐसे विभागों से, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं, या ऐसे अन्य संगठनों से, जो विनिर्दिष्ट बांधों के स्वामी हैं, छह से अनधिक, मुख्य इंजीनियर की पंक्ति के तकनीकी और वैज्ञानिक अधिकारी — सदस्य ;

(ग) उन दशाओं में, जहां किसी राज्य के किसी विनिर्दिष्ट बांध के जलाशय क्षेत्र का विस्तार, किसी अन्य राज्य तक है, प्रत्येक ऐसे प्रतिस्रोत राज्य का मुख्य इंजीनियर या समतुल्य स्तर का अधिकारी — सदस्य ;

(घ) उन दशाओं में, जहां किसी राज्य के किसी विनिर्दिष्ट बांध की बाढ़ निकासी का प्रवाह किसी पड़ोसी राज्य में होता है, प्रत्येक ऐसे अनुप्रवाह राज्य का मुख्य इंजीनियर या समतुल्य स्तर का अधिकारी — सदस्य ;

(ड) अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला केंद्रीय जल आयोग का एक प्रतिनिधि, जो निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो — सदस्य ;

(च) जल-विज्ञान या बांध डिजाइनों के क्षेत्र में, तीन से अनधिक इंजीनियरी संस्थानों के विशेषज्ञ — सदस्य ; और

(छ) अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि, जो निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो — सदस्य ।

(2) राज्य समिति का गठन इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा और उसके पश्चात् प्रत्येक तीन वर्ष के लिए उसका पुनर्गठन किया जाएगा ।

राज्य समिति के कृत्य ।

12. (1) राज्य समिति, तीसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी, जो प्राधिकरण द्वारा जारी बांध सुरक्षा संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों, मानकों और अन्य निदेशों के अनुसार, इस अधिनियम के अधीन आपदाओं से संबंधित बांध संबंधी विफलता के निवारण के लिए आवश्यक हों ।

(2) राज्य समिति अपने कृत्यों के निर्वहन में, उतनी उपसमितियों द्वारा सहायता प्राप्त करेगी, जितनी वह आवश्यक समझे और राज्य समिति तथा उसकी उपसमितियों को सचिवालयिक सहायता संबद्ध राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा प्रदान की जाएगी ।

राज्य समिति की बैठकें ।

13. (1) राज्य समिति की बैठकें ऐसे समय और स्थानों पर होंगी तथा अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में, प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं :

परंतु राज्य समिति, एक वर्ष में दो बार बैठक करेगी और एक बैठक, वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पहले आयोजित की जाएगी ।

(2) राज्य समिति, किसी विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी के प्रतिनिधि को और बांध सुरक्षा में ऐसे अन्य विशेषज्ञों को, जो वह अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए समुचित समझे, आमंत्रित कर सकेगी ।

(3) राज्य समिति की बैठकों पर उपगत व्यय ऐसी रीति में किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(4) ऐसे विशेषज्ञ सदस्यों और अन्य आमंत्रित विशेषज्ञों को, जो राज्य समिति या उसकी उपसमितियों की बैठकों में उपस्थित होते हैं, ऐसी फीस और भत्ते संदत्त किए जाएंगे, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

अध्याय 5

राज्य बांध सुरक्षा संगठन

राज्य बांध सुरक्षा संगठन की स्थापना ।

14. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, बांध सुरक्षा से संबंधित विषय में कार्य करने वाले किसी विभाग में, "राज्य बांध सुरक्षा संगठन" के नाम से ज्ञात एक पृथक् संगठन की स्थापना करेगी :

परंतु ऐसे राज्यों में, जहां विनिर्दिष्ट बांधों की संख्या तीस से अधिक है, राज्य बांध सुरक्षा संगठन की अध्यक्षता किसी ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो मुख्य

इंजीनियर या समतुल्य की पंक्ति से नीचे का न हो और सभी अन्य दशाओं में राज्य बांध सुरक्षा संगठन की अध्यक्षता किसी ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो अधीक्षण इंजीनियर या समतुल्य की पंक्ति से नीचे का न हो ।

(2) राज्य बांध सुरक्षा संगठन, बांध सुरक्षा से संबंधित विषय में कार्य करने वाले विभाग के तकनीकी प्रमुख के प्रति उत्तरदायी होगा और वह उसको रिपोर्ट करेगा ।

(3) राज्य बांध सुरक्षा संगठन की संगठनात्मक संरचना और कार्य प्रक्रियाएं ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(4) राज्य बांध सुरक्षा संगठन के प्रशासनिक और अन्य व्यय संबंध राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा ।

15. (1) राज्य सरकार, उस राज्य में विनिर्दिष्ट बांधों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, राज्य बांध सुरक्षा संगठन को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने वह उक्त संगठन के दक्ष कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे :

राज्य बांध सुरक्षा संगठन के अधिकारी और कर्मचारी ।

परंतु ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के पास बांध सुरक्षा के क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत बांध डिजाइन, जलीय यांत्रिकी इंजीनियरी, जल-विज्ञान, भू-तकनीकी अन्वेषण, साधन विनियोग, बांध पुनर्वास के क्षेत्र या ऐसे अन्य क्षेत्र भी हैं, ऐसी अर्हताएं और अनुभव होगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के कृत्य और शक्तियां वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

अध्याय 6

बांध सुरक्षा से संबंधित कर्तव्य और कृत्य

16. (1) प्रत्येक राज्य बांध सुरक्षा संगठन, ऐसे विनिर्दिष्ट बांधों की सतत् सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसकी अधिकारिता के भीतर आने वाले सभी विनिर्दिष्ट बांधों की,—

निगरानी और निरीक्षण ।

(क) शाश्वत निगरानी रखेगा ;

(ख) निरीक्षण करेगा ; और

(ग) उनके प्रचालन और अनुरक्षण को मानिटर करेगा,

और ऐसे उपाय करेगा, जो सुरक्षा संबंधी ऐसी चिंताओं का पता लगाने के लिए आवश्यक हों, जो ऐसे बांध सुरक्षा संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों, मानकों और अन्य निदेशों के अनुसार, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, बांध सुरक्षा आश्वासन के समाधानप्रद स्तर को प्राप्त करने की दृष्टि से जानकारी में आई हों ।

(2) राज्य बांध सुरक्षा संगठन, लोक सुरक्षा के अनुरूप विनिश्चय करने में अपने को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए ऐसे अन्वेषण करेगा या करवाएगा और ऐसे आंकड़े एकत्रित करेगा या एकत्रित करवाएगा, जो उसकी अधिकारिता के अधीन आने वाले बांधों, जलाशयों और अनुलग्न संरचनाओं के डिजाइन, सन्निर्माण, मरम्मत और विस्तारण की विभिन्न विशेषताओं के उचित पुनर्विलोकन और अध्ययन के लिए अपेक्षित हों ।

विनिर्दिष्ट बांधों की भेद्यता और परिसंकट वर्गीकरण ।

लाग बुकों का रखा जाना ।

17. राज्य बांध सुरक्षा संगठन, उसकी अधिकारिता के अधीन आने वाले प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध को ऐसे भेद्यता और परिसंकट वर्गीकरण मानक के अनुसार वर्गीकृत करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

18. (1) प्रत्येक राज्य बांध सुरक्षा संगठन उसकी अधिकारिता के अधीन आने वाले प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध के लिए एक लाग बुक या डाटा बेस सामग्री रखेगा, जिसमें निगरानी और निरीक्षण से संबंधित सभी क्रियाकलाप और बांध सुरक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाएं ऐसे ब्यौरों के साथ तथा ऐसे प्ररूप में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अभिलिखित किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक राज्य बांध सुरक्षा संगठन, प्राधिकरण को, उसके द्वारा जब कभी अपेक्षित हो, ऐसी सभी जानकारी प्रस्तुत करेगा ।

बांध संबंधी विफलता और बांध संबंधी घटनाओं के अभिलेख ।

19. (1) प्रत्येक राज्य बांध सुरक्षा संगठन, उसकी अधिकारिता के अधीन किसी बांध संबंधी विफलता की घटना की रिपोर्ट प्राधिकरण को करेगा और उसे, जब कभी उसके द्वारा अपेक्षा की जाए, सूचना देगा ।

(2) प्रत्येक राज्य बांध सुरक्षा संगठन, उसकी अधिकारिता के अधीन आने वाले प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध की प्रमुख बांध संबंधी घटनाओं के अभिलेख रखेगा और प्राधिकरण को, जब कभी उसके द्वारा अपेक्षित हो, ऐसी सभी सूचना देगा ।

विनिर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा संबंधी अनुदेश ।

20. (1) प्रत्येक राज्य बांध सुरक्षा संगठन, विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी को किसी बांध के संबंध में किए जाने के लिए अपेक्षित सुरक्षा या उपचारात्मक उपायों पर अपने अनुदेश देगा ।

(2) विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा उसके स्वामित्व वाले किसी विनिर्दिष्ट बांध के संबंध में सुरक्षा या उपचारात्मक उपायों के संबंध में जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन करेगा ।

अनुरक्षण और मरम्मतों के लिए निधियां ।

21. विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, विनिर्दिष्ट बांधों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए तथा राज्य बांध सुरक्षा संगठन की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त और विनिर्दिष्ट निधियों को निश्चित करेगा ।

तकनीकी प्रलेखीकरण ।

22. (1) विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, जलविज्ञान, बांध के आधार, बांध की संरचना संबंधी इंजीनियरी, बांध का जल विभाजन, ऊपरी प्रवाह और बांध के भूमि संबंधी निचले प्रवाह की प्रकृति या उपयोग से संबंधित सभी तकनीकी प्रलेखीकरणों को आर्थिक या संभारतंत्र या पर्यावरणीय संबंधी महत्व के ऐसे सभी संसाधनों या सुविधाओं से संबंधित, जिनके बांध संबंधी विफलता होने के कारण प्रभावित होने की संभावना है, जानकारियों के साथ संकलित करेगा ।

(2) विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, राज्य बांध सुरक्षा संगठन और प्राधिकरण को, जब कभी उनके द्वारा अपेक्षा की जाए, ऐसी सभी जानकारी देगा ।

(3) विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी बांध सुरक्षा और बांध कार्य निष्पादन से संबंधित आंकड़े का भंडारण करने, पुनः प्राप्त करने और वितरित करने के लिए आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी साधनों से अपने संगठन को सुसज्जित करेगा ।

विनिर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की अर्हताएं और अनुभव ।

23. विनिर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा और उनसे संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति के पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव होगा तथा वह ऐसा प्रशिक्षण पूरा करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

24. (1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सभी विनिर्दिष्ट बांध, बांध निरीक्षण, सूचना के विश्लेषण, अन्वेषण सुरक्षा प्रास्थिति से संबंधित रिपोर्टों या सिफारिशों और बांध सुरक्षा में सुधार करने के लिए किए जाने वाले उपचारात्मक उपायों से संबंधित विषयों में, उस राज्य के, जिसमें ऐसा बांध स्थित है, राज्य बांध सुरक्षा संगठन की अधिकारिता के अधीन होंगे ; और सभी ऐसे विषयों में विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जाएगा :

राज्य बांध सुरक्षा संगठन और प्राधिकरण की अधिकारिता ।

परंतु जहां कोई विनिर्दिष्ट बांध केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम के स्वामित्वाधीन है या जहां कोई विनिर्दिष्ट बांध दो या अधिक राज्यों में विस्तारित है या जहां एक राज्य में कोई विनिर्दिष्ट बांध किसी अन्य राज्य के स्वामित्वाधीन है, वहां प्राधिकरण का, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य बांध सुरक्षा संगठन के रूप में अर्थ लगाया जाएगा :

परन्तु यह और कि ऐसे सभी बांधों में, जहां प्राधिकरण राज्य बांध सुरक्षा संगठन की भूमिका निभाता है, राज्य सरकारों की, जिनकी अधिकारिता के भीतर ऐसे बांध अवस्थित हैं, प्राधिकरण के पास यथा उपलब्ध इन विनिर्दिष्ट बांधों से संबंधित सभी जानकारी तक पहुंच होगी ।

(2) प्राधिकरण या संबंधित राज्य बांध सुरक्षा संगठन का प्राधिकृत प्रतिनिधि इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कोई निरीक्षण या अन्वेषण करने के प्रयोजनों के लिए, जब कभी अपेक्षित हो, विनिर्दिष्ट बांध के किसी भाग या उसके स्थल में प्रवेश कर सकेगा और ऐसी अन्वेषण पद्धतियों का उपयोग कर सकेगा, जो आवश्यक समझी जाएं ।

(3) उपधारा (2) के अधीन निरीक्षण या अन्वेषण करने के पश्चात्, उस उपधारा में निर्दिष्ट प्रतिनिधि की यह राय है कि कतिपय उपचारात्मक उपाय किए जाने अपेक्षित हैं तो वह ऐसे विनिर्दिष्ट बांध के भारसाधक अधिकारी को और संबंधित राज्य बांध सुरक्षा संगठन को ऐसे उपचारात्मक उपायों की रिपोर्ट करेगा ।

(4) विनिर्दिष्ट बांधों के, उनकी समय-सीमा, विकृति, अवक्रमण, संरचना संबंधी या अन्य बाधाओं के कारण संकटापन्न पाए जाने की दशा में प्राधिकरण और संबंधित राज्य बांध सुरक्षा संगठन ऐसे प्रचालन संबंधी पैमानों के आधार पर, ऐसे उपचारात्मक उपायों का (जिसके अन्तर्गत अधिकतम जलाशय स्तर, अधिकतम उत्प्लव मार्ग निस्सारण और अन्य स्थानों के माध्यम से अधिकतम निस्सारण भी है) जो वह आवश्यक समझे, सुझाव देगा ।

(5) उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) की कोई बात, विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी या किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति को, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसे न्यस्त किए गए किन्हीं उत्तरदायित्वों या बाध्यताओं से मुक्त नहीं करेगी और उपधारा (1), उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में ।

25. प्राधिकरण या राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा किए गए किसी प्रकार के अन्वेषण पर उपगत की जाने वाली सभी लागतों का वहन, जिसके अन्तर्गत किसी परामर्शी और विशेषज्ञ को दिए जाने वाले संदाय भी हैं, विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी द्वारा किया जाएगा ।

अन्वेषण की लागत ।

बांधों का
संनिर्माण
या
परिवर्तन ।

26. (1) किसी विनिर्दिष्ट बांध का कोई संनिर्माण या परिवर्तन कार्य, ऐसे अभिकरणों द्वारा, जो यथास्थिति, प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायित हों, किए जाने वाले अन्वेषण, डिजाइन और संनिर्माण कार्य के अधीन रहते हुए किया जाएगा :

परंतु प्राधिकरण किसी ऐसे अभिकरण को निरहित कर सकेगा, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अभिकरण, विनिर्दिष्ट बांध की सुरक्षा का डिजाइन बनाने या मूल्यांकन करने के प्रयोजन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की सुसंगत मानक संहिताओं और मार्गदर्शक सिद्धांतों का उपयोग करेगा तथा यदि डिजाइन या बांध सुरक्षा मूल्यांकन में कोई विचलन किया गया है, तो उसके कारण देगा ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अभिकरण अन्वेषण, डिजाइन और संनिर्माण के प्रयोजन के लिए ऐसे अर्हित, अनुभवी और सक्षम इंजीनियरों को नियोजित करेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अभिकरण, बांध के डिजाइन का अनुमोदन करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सुसंगत संहिताओं और मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों के अनुसार डिजाइन की सुरक्षा, प्रचालन संबंधी मानकों और नीतियों का प्रदर्शन करेगा ।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अभिकरण, बांध संनिर्माण के प्रयोजन के लिए ऐसे क्वालिटी नियंत्रण उपायों को करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(6) किसी विनिर्दिष्ट बांध का संनिर्माण या किसी विद्यमान विनिर्दिष्ट बांध का परिवर्तन या विस्तारण ऐसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किया जाएगा, जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

जलाशयों का
आरंभिक भराव ।

27. (1) किसी विनिर्दिष्ट बांध के किसी जलाशय के आरंभिक भराव से पूर्व, उसके डिजाइन के लिए जिम्मेदार अभिकरण, बांध और उसकी अनुलग्न संरचनाओं के कार्य-निष्पादन को मानिटर करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त समय से, भराव संबंधी मापदंड बनाएगा और एक आरंभिक भराव योजना तैयार करेगा ।

(2) जलाशय का आरंभिक भराव किए जाने से पूर्व, राज्य बांध सुरक्षा संगठन, विनिर्दिष्ट बांध का निरीक्षण करेगा या अपने स्वयं के इंजीनियरों द्वारा या विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल द्वारा निरीक्षण करवाएगा, जो आरंभिक भराव कार्यक्रम की भी परीक्षा करेगा और भराव के लिए बांध की उपयुक्तता को सम्यक् रूप से प्रमाणित करते हुए उसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा ।

प्रचालन और
अनुरक्षण ।

28. (1) विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, विनिर्दिष्ट बांध के लिए प्रचालन और अनुरक्षण स्थापन उपलब्ध कराएगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे प्रत्येक बांध पर पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित प्रचालन और अनुरक्षण इंजीनियर या तकनीकी व्यक्ति तैनात किए जाएंगे ।

(2) विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध पर उचित प्रलेखीकृत प्रचालन और अनुरक्षण निर्देशिका रखी जाए और

सभी समयों पर उसका अनुसरण किया जाए ।

29. इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि किसी विनिर्दिष्ट बांध का स्वामी, बांध या जलाशय के संनिर्माण, प्रचालन, अनुरक्षण और पर्यवेक्षण के लिए अनुषंगी कर्तव्यों, बाध्यताओं या दायित्वों से मुक्त हो गया है ।

विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी का उत्तरदायित्व ।

अध्याय 7

सुरक्षा, निरीक्षण और आंकड़े संग्रहण

30. प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध के लिए, स्वामी, उसके प्रचालन और अनुरक्षण स्थापन के भीतर ऐसे सक्षम स्तरों के इंजीनियरों से, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, गठित एक बांध सुरक्षा इकाई को उपलब्ध कराएगा ।

बांध सुरक्षा इकाई ।

31. (1) किसी विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, प्रत्येक वर्ष अपनी बांध सुरक्षा इकाई के माध्यम से, ऐसे प्रत्येक बांध के संबंध में वर्षा ऋतु के पहले और वर्षा ऋतु के पश्चात् निरीक्षण कराएगा ।

निरीक्षण ।

(2) उपधारा (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, प्रत्येक बाढ़ के दौरान और उसके पश्चात्, भूकंप या किन्हीं अन्य प्राकृतिक या मानव निर्मित विपत्तियों के पश्चात् या यदि बांध में कोई संकटग्रस्त या असामान्य प्रतिक्रिया का कोई संकेत देखा जाता है तो प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध का निरीक्षण करेगा या बांध सुरक्षा इकाई द्वारा उसका निरीक्षण कराएगा ।

(3) किसी विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी,—

(क) उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट सभी निरीक्षण ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्तों और जांच सूचियों के अनुसार करेगा जो विनियमों द्वारा विनिश्चित की जाएं ;

(ख) संपूर्ण वर्षा अवधि में प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध स्थल पर, ऐसे इंजीनियरों और अन्य तकनीकी कार्मिकों को तैनात करेगा, जिनका राज्य बांध सुरक्षा संगठन के परामर्श से विनिश्चय किया जाए ;

परंतु ऐसे इंजीनियरों और अन्य तकनीकी कार्मिकों को, ऐसी किसी अन्य प्राकृतिक या मानव निर्मित विपत्तियों के पश्चात्, जिससे बांध में संकटग्रस्त स्थितियां पैदा हो सकती हैं, संपूर्ण आपात अवधि के दौरान उनके अपने-अपने बांध स्थलों पर तैनात किया जाना अपेक्षित होगा ;

(ग) बांध सुरक्षा इकाई द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट, राज्य बांध सुरक्षा संगठन को भेजेगा, जो उस रिपोर्ट का विश्लेषण करेगा और विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी को कमियों पर टीका-टिप्पणियां और उपचारात्मक उपाय, यदि कोई हों, प्रस्तुत करेगा ।

32. (1) किसी विनिर्दिष्ट बांध के प्रत्येक स्वामी के पास, ऐसे बांध के कार्य निष्पादन को मानीटर करने के लिए, प्रत्येक ऐसे विनिर्दिष्ट बांध पर न्यूनतम संख्या में ऐसे उपकरण होंगे और उन्हें ऐसी रीति में प्रतिष्ठापित किया जाएगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध में प्रतिष्ठापित किए जाने वाले उपकरण ।

(2) विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपकरणों के पाठ्यांक का अभिलेख रखेगा और ऐसे पाठ्यांक का विश्लेषण राज्य बांध सुरक्षा संगठन को ऐसे प्ररूप, रीति में और ऐसे अंतरालों पर भेजेगा, जो विनियमों द्वारा

विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

जल-मौसम विज्ञान
केंद्र की स्थापना ।

33. (1) विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध के समीप जल-मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित करेगा, जो ऐसे आंकड़े अभिलिखित करने में समर्थ हैं, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, किसी उपयुक्त स्थान पर उपधारा (1) में निर्दिष्ट आंकड़ों का संग्रहण, संकलन, प्रक्रमण और भंडारण करेगा ।

भूकंप-विज्ञानी केंद्र
का प्रतिष्ठापन ।

34. (1) ऐसे प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध की दशा में, जिसकी ऊंचाई तीस मीटर या उससे अधिक है या जो ऐसे भूकंप जोन में आता है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, विनिर्दिष्ट बांध का स्वामी, सूक्ष्म और प्रबल गति के भूकंपों तथा ऐसे अन्य आंकड़ों को, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, अभिलिखित करने के लिए प्रत्येक ऐसे बांध के समीप एक भूकंप विज्ञानी केंद्र स्थापित करेगा ।

(2) किसी विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट डाटा का संग्रहण, संकलन, प्रक्रमण और भंडारण ऐसे उपयुक्त स्थान पर और ऐसी रीति में करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

अध्याय 8

आपात कार्य योजना और आपदा प्रबंधन

विनिर्दिष्ट बांध के
स्वामी की
बाध्यता ।

35. (1) विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध के संबंध में,—

(क) सुअभिकल्पित जल-मौसम विज्ञान नेटवर्क और एक अंतःप्रवाही पूर्वानुमान प्रणाली स्थापित करेगा ;

(ख) बांध के अनुप्रवाह अधिसंभाव्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए आपात बाढ़ चेतावनी प्रणाली स्थापित करेगा ;

(ग) खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रणालियों के कार्यकरण का आवधिक रूप से परीक्षण करेगा या करवाएगा ;

(घ) ऐसे वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण संस्थापित करेगा, जो बांध सुरक्षा और अनुप्रवाह क्षेत्र के लोगों के जीवन और संपत्ति को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए समय-समय पर आविष्कृत या अंगीकृत किए गए हैं ;

(ङ) संबंधित प्राधिकारियों को बाढ़ संबंधी चेतावनी सहित अधिकतम पूर्वानुमानित अंतर्वाह और बहिर्वाह तथा उसका बांध के धारा प्रतिकूल प्रवाह या अनुप्रवाह से संबंधित व्यक्तियों और संपत्ति पर प्रतिकूल समाघात, यदि कोई हो, से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा और ऐसी जानकारी को सार्वजनिक पटल पर भी रखेगा ;

(च) जलाशयों के प्रचालन से संबंधित वास्तविक समय के जल-विज्ञान और मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़ों तथा जानकारी के आदान-प्रदान के लिए आरंभिक चेतावनी प्रणाली के संस्थापन और उसको चलाने में प्राधिकरण को आवश्यक सहायता देगा ।

(2) किसी विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, अपने प्रत्येक बांध के लिए ऐसे अंतराल पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जोखिम निर्धारण अध्ययन करेगा और ऐसा पहला अध्ययन इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष के

भीतर किया जाएगा ।

36. (1) किसी विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध के संबंध में,—

आपात कार्य योजना ।

(क) जलाशय की आरंभिक भराई की अनुज्ञा देने से पूर्व आपात कार्य योजना तैयार करेगा और तत्पश्चात् नियमित अंतरालों पर ऐसी योजनाओं को अद्यतन करेगा ;

(ख) ऐसे बांध के संबंध में, जिनका सन्निर्माण और भराई इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व की गई है, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष के भीतर आपात कार्य योजना तैयार करेगा और तत्पश्चात् ऐसे नियमित अंतरालों पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसी योजनाओं को अद्यतन करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आपात कार्य योजना में,—

(क) किसी वास्तविक या आसन्न बांध विफलता की दशा में विनिर्दिष्ट बांध के धारा प्रतिकूल प्रवाह या अनुप्रवाह वाले व्यक्तियों और संपत्ति की संरक्षा के लिए या आपदा के प्रभावों को कम करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाएं उपवर्णित होंगी ;

(ख) उसमें,—

(i) ऐसे आपातों के प्रकार सम्मिलित होंगे, जिनके किसी जलाशय के प्रचालन में घटित होने की संभावना है ;

(ii) किसी बांध संबंधी विफलता की दशा में, जलाशय से छोड़े गए बाढ़ के पानी के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों, जनसंख्या, संरचनाओं और संस्थापनों के साथ संभावी विध्वंसात्मक बाढ़ का पता लगाना सम्मिलित होगा ;

(iii) संभाव्य प्रतिकूल स्थितियों से, विशेष रूप से मानव जीवन की हानि से बचने के लिए दक्ष और सर्वोत्तम संभावित रीति से निपटने के लिए, चेतावनी प्रक्रियाएं, जल प्लावन मानचित्र और अग्रिम तैयारियां सम्मिलित होंगी ;

(iv) ऐसे अन्य विषय सम्मिलित होंगे, जो भौगोलिक दशाओं, विनिर्दिष्ट बांध के आकार और ऐसे अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखकर आवश्यक हों ।

(3) इस धारा के अधीन आपात कार्य योजना को तब कार्यान्वित किया जाएगा, जब कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हों, जो किसी विनिर्दिष्ट बांध के लिए परिसंकटमय हों या उसके लिए परिसंकटमय हो सकती हैं या सार्वजनिक सुरक्षा, अवसंरचना, अन्य संपत्ति के लिए या पर्यावरण के लिए संभवतः परिसंकटमय हो सकती हैं ।

(4) विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी आपात कार्य योजना को तैयार करते समय और उसे अद्यतन करते समय, सभी आपदा प्रबंधन अभिकरणों और राज्य के अन्य ऐसे विभाग, जिन्हें प्रभावित होने वाले क्षेत्र में आपदा प्रबंधन और राहत संबंधी कार्य सौंपा गया हो, और प्रभावित होने वाले निकटतम सामीप्य बांधों के स्वामियों के साथ परामर्श करेगा, जिससे बांध सुरक्षा के मुद्दों पर समन्वय और पारदर्शिता को

लाया जा सके और अवांछित भय का निराकरण किया जा सके ।

अन्य आपदा प्रबंधन प्राधिकारियों को सहायता ।

37. इस अधिनियम के उपबंधों पर या विशिष्ट बांध के स्वामी और अन्य संगठनों और इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक स्वामी, संगठन और प्राधिकारी, विनिर्दिष्ट बांधों में उद्भूत किसी आपदा या आपातस्थिति से निपटने या कम करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्राधिकारियों को, यदि ऐसा अपेक्षित हो, आवश्यक सहायता प्रदान करेगा ।

अध्याय 9

व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन

व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन ।

38. (1) किसी विनिर्दिष्ट बांध का स्वामी, विनिर्दिष्ट बांध और उसके जलाशय की दशाओं के अवधारण के प्रयोजन के लिए, विनियमों के अनुसार गठित विशेषज्ञों के किसी स्वतंत्र पैनल के माध्यम से प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध का व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन करेगा या करवाएगा :

परंतु प्रत्येक विद्यमान विनिर्दिष्ट बांध का पहला व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर किया जाएगा और तत्पश्चात् प्रत्येक ऐसे बांध का व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन ऐसे नियमित अंतरालों पर किया जाएगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, किन्तु यह इन तक ही सीमित नहीं होगा,—

(क) ढांचे के डिजाइन, संनिर्माण, प्रचालन, अनुरक्षण और प्रदर्शन पर उपलब्ध आंकड़े का पुनर्विलोकन और विश्लेषण ;

(ख) विनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट डिजाइन बाढ़ के आजापक पुनर्विलोकन सहित जलराशिक और जल व्यवस्था संबंधी परिस्थितियों का साधारण निर्धारण ;

(ग) कतिपय दशाओं में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, आजापक स्थल विशिष्ट भूकंप पैरामीटरों के साथ विनिर्दिष्ट बांध की भूकंपीय सुरक्षा का साधारण निर्धारण ;

(घ) प्रचालन, अनुरक्षण और निरीक्षण प्रक्रियाओं का मूल्यांकन; और

(ङ) किन्हीं अन्य परिस्थितियों का मूल्यांकन जो ढांचे की समग्रता के लिए परिसंकटमय हो ।

कतिपय दशाओं में अनिवार्य मूल्यांकन ।

39. धारा 38 में निर्दिष्ट व्यापक बांध मूल्यांकन,—

(क) मूल ढांचे या डिजाइन संबंधी मानदंड में वृहत्त उपांतरण ;

(ख) बांध या जलाशय के किनारे पर किसी अप्रायिक स्थिति का पता लगने ; और

(ग) चरम जलीय संबंधी या भूकंपीय घटना,

की दशा में अनिवार्य हो जाएगा ।

व्यापक मूल्यांकन की रिपोर्टें ।

40. (1) किसी विनिर्दिष्ट बांध का स्वामी, धारा 38 या धारा 39 के अधीन किए गए बांध सुरक्षा मूल्यांकन के परिणामों की रिपोर्ट राज्य बांध सुरक्षा संगठन को

देगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्टों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, किन्तु यह उन तक ही सीमित नहीं होगी,—

(क) ढांचे के डिजाइन, जल विज्ञान, संनिर्माण, प्रचालन, अनुरक्षण और निष्पादन का दृष्टिक संप्रेक्षण और उससे संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ढांचे की स्थिति का निर्धारण ;

(ख) ढांचे की तत्काल सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किन्हीं आपात उपायों या कार्रवाइयों की सिफारिशें, यदि अपेक्षित हों ;

(ग) ढांचे के डिजाइन, संनिर्माण, प्रचालन, अनुरक्षण और निरीक्षण से संबंधित उपचारात्मक उपायों और कार्रवाइयों की सिफारिशें, यदि अपेक्षित हों ;

(घ) अतिरिक्त विस्तृत अध्ययन, अन्वेषण और विश्लेषण की सिफारिशें, यदि अपेक्षित हो ; और

(ङ) बांधों के नैत्यक अनुरक्षण और निरीक्षण में सुधार करने हेतु सिफारिशें, यदि अपेक्षित हों ।

(3) जहां धारा 38 या धारा 39 के अधीन किए गए सुरक्षा मूल्यांकन का परिणाम उपचारात्मक उपाय की सिफारिश है, वहां राज्य बांध सुरक्षा संगठन, विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी से यह सुनिश्चित करने के लिए पैरवी करेगा कि ऐसे उपचारात्मक उपाय समय पर किए जाएं, जिनके लिए स्वामी पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराएगा ।

(4) जहां धारा 38 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल और विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी के बीच कोई अनिर्णीत विषय प्रकट होता है, वहां ऐसा विषय राज्य बांध सुरक्षा संगठन को निर्दिष्ट किया जाएगा, और कोई समझौता न हो पाने की दशा में उक्त विषय को प्राधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो उस संबंध में अपनी सलाह देगा और उसके कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकार को सिफारिशें करेगा ।

अध्याय 10

अपराध और शास्तियां

41. जो कोई, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के,—

बाधा डालने, आदि के लिए दंड ।

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी को या राष्ट्रीय समिति या प्राधिकरण या राज्य समिति या राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा ; या

(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय समिति या प्राधिकरण या राज्य समिति या राज्य बांध सुरक्षा संगठन के द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी निदेश का पालन करने से इंकार करेगा,

वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा और यदि ऐसी बाधा डालने या निदेशों के पालन से इंकार करने का परिणाम जीवन हानि या उसके लिए आसन्न संकट है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा ।

सरकार के विभागों
द्वारा अपराध ।

42. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है, वहां विभाग का प्रमुख, अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा, जब तक वह यह साबित नहीं कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी सरकारी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध, विभाग प्रमुख से भिन्न किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी उपेक्षा का कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा अधिकारी उस उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

कंपनियों द्वारा
अपराध ।

43. (1) जहां, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी या निगमित निकाय द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है ; और

(ख) फर्म के संबंध में, “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

अपराध का
संज्ञान ।

44. (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा या राष्ट्रीय समिति या प्राधिकरण या राज्य समिति या राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के सिवाय नहीं करेगा ।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

अध्याय 11

प्रकीर्ण

45. (1) प्रत्येक राज्य बांध सुरक्षा संगठन, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन मास के भीतर अपने कार्यकलापों और राज्य में विनिर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा प्रास्थिति की एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और ऐसी रिपोर्ट, प्राधिकरण और राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा और वह सरकार, उसे, जहां राज्य विधान-मंडल में दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान-मंडल में केवल एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी ।

(2) प्रत्येक राज्य बांध सुरक्षा संगठन और किसी विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, प्राधिकरण को, जब कभी अपेक्षित हो, ऐसे रूपविधान में और ऐसी रीति में, जैसा प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय किया जाए, परियोजनाओं के प्रलेखन, विफलता की जांचों की रिपोर्ट और कोई अन्य आंकड़े उपलब्ध करवाएगा ।

(3) प्राधिकरण देश में बांध सुरक्षा क्रियाकलापों की एक समेकित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह मास के भीतर केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा तथा वह सरकार उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

(4) प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा प्रास्थिति पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट अग्रेषित करेगा और वह ऐसी रिपोर्ट सार्वजनिक पटल पर भी उपलब्ध करवाएगा ।

(5) प्रत्येक राज्य का राज्य बांध सुरक्षा संगठन संबंधित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अपनी वार्षिक रिपोर्ट अग्रेषित करेगा और वह ऐसी रिपोर्ट सार्वजनिक पटल पर भी उपलब्ध करवाएगा ।

46. विनिर्दिष्ट बांधों से भिन्न बांध का प्रत्येक स्वामी, ऐसे उपाय करेगा, जो बांध की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों और ऐसे उपायों का अनुपालन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए ।

47. जहां कोई बांध जिसके अंतर्गत भू-स्खलन या हिमनदीय, हिमोढ़ के कारण सृजित कोई बांध भी है, भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर अवस्थित है और प्राधिकरण की, स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति या संगठन या प्राधिकारी या स्रोत से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रथमदृष्टया यह राय है कि ऐसे बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने अपेक्षित हैं और जिनकी विफलता भारत में अवस्थित लोगों के जीवन और संपत्ति के लिए संकटापन्न हो सकेगी, वहां वह केन्द्रीय सरकार को, लिखित में उसकी प्रजापना, उसमें ऐसे संभावित नुकसानों, जो ऐसे बांधों की विफलता के कारण उद्भूत हो सकेंगे और ऐसे बांध के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित सुरक्षा उपायों को उपदर्शित करते हुए करेगा और केन्द्रीय सरकार किसी संभावित आशंका को कम करने के लिए सभी यथोचित उपाय करेगी ।

48. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

विनिर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा प्रास्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट ।

विनिर्दिष्ट बांधों से भिन्न बांधों के संबंध में सुरक्षा उपाय ।

भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर अवस्थित बांधों के संबंध में सुरक्षा उपाय ।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।

अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति ।

49. (1) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची का संशोधन कर सकेगी और तदुपरी, अनुसूचियां तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएंगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना की प्रति उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

केंद्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति ।

50. केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को, जहां वह राज्य सरकार विनिर्दिष्ट बांध की स्वामी है और किसी अन्य मामले में, किसी विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी को ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह आवश्यक समझे ।

रिक्तियों, आदि से राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति, प्राधिकरण और राज्य बांध सुरक्षा समिति की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

51. राष्ट्रीय समिति, प्राधिकरण और राज्य समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि,—

(क) प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ;

(ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव डालती है ।

केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

52. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय समिति की बैठकों का समय और स्थान तथा ऐसी बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय समिति की बैठकों पर उपगत व्यय ;

(ख) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन बांध सुरक्षा के क्षेत्र में के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की, ऐसे अन्य क्षेत्र में अर्हताएं और अनुभव ;

(ग) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कृत्य, शक्तियां और सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(घ) कोई ऐसा अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

53. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे,

अर्थात् :—

(क) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन राज्य समिति की बैठकों का समय और स्थान तथा ऐसी बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ख) धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन राज्य समिति की बैठकों पर उपगत व्यय ;

(ग) धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन राज्य समिति या उसकी उपसमितियों के विशेषज्ञ सदस्यों या आमंत्रित विशेषज्ञों को संदत्त फीस और भत्ते ;

(घ) धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन राज्य बांध सुरक्षा संगठन का संगठनात्मक ढांचा और कार्य प्रक्रिया ;

(ङ) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन राज्य बांध सुरक्षा संगठन के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की, बांध सुरक्षा के क्षेत्र में या ऐसे अन्य क्षेत्र में अर्हताएं और अनुभव ;

(च) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन राज्य बांध सुरक्षा संगठन के कर्मचारियों के कृत्य, शक्तियां और सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(छ) धारा 46 के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों से भिन्न बांधों की बाबत बांध सुरक्षा उपाय ;

(ज) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसकी बाबत राज्य सरकार द्वारा, नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

(3) प्राधिकरण, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा ।

54. (1) प्राधिकरण, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा ।

प्राधिकरण द्वारा
विनियम बनाने
की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे,
अर्थात् :—

(क) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन बांध सुरक्षा आश्वासन का संतोषजनक स्तर प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, मानक और अन्य निदेश ;

(ख) धारा 17 के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों की भेद्यता और संकट वर्गीकरण के लिए मानदंड ;

(ग) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन लागू बुकों या डाटा बेस के अनुरक्षण से संबंधित ब्यौरे और प्ररूप ;

(घ) धारा 23 के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की अर्हताएं, अनुभव और प्रशिक्षण ;

(ड) धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों के अन्वेषण, डिजाइन और संनिर्माण के प्रयोजन के लिए सक्षम इंजीनियरों का नियोजन तथा उनकी अर्हताएं और अनुभव ;

(च) धारा 26 की उपधारा (5) के अधीन बांध संनिर्माण के प्रयोजन के लिए क्वालिटी नियंत्रण उपाय ;

(छ) धारा 30 के अधीन बांध सुरक्षा इकाइयों के लिए सक्षम इंजीनियरों का स्तर ;

(ज) धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों के निरीक्षण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत और जांच सूचियां ;

(झ) धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों में उपस्कर सेटों की न्यूनतम संख्या और उनके प्रतिष्ठापन की रीति ;

(ञ) धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन राज्य बांध सुरक्षा संगठन को पाठ्यांकन का विश्लेषण अग्रेषित करने का प्ररूप, रीति और समय अंतराल ;

(ट) धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों के समीप जल मौसम विज्ञान केन्द्रों की आंकड़े अपेक्षाएं ;

(ठ) धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों के समीप में भूकंप विज्ञानी केन्द्रों की डाटा अपेक्षाएं ;

(ड) धारा 34 की उपधारा (2) के अधीन डाटा के संग्रहण, संकलन, प्रक्रमण और भंडारण के उपयुक्त स्थान और रीति ;

(ढ) धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन किए जाने वाले जोखिम निर्धारण अध्ययनों का समय अंतराल ;

(ण) धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन आपात कार्य योजना को अद्यतन करने के लिए समय अंतराल ;

(त) धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों के व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन के लिए समय अंतराल ;

(थ) धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन विद्यमान बांधों के बाढ़ संबंधी डिजाइन का आजापक पुनर्विलोकन ;

(द) धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन विद्यमान बांधों का आजापक स्थल विनिर्दिष्ट भूकंप-विज्ञानी पैरामीटर अध्ययन ;

(ध) धारा 46 के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों से भिन्न बांध के प्रत्येक स्वामी द्वारा बांध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय ;

(न) कोई अन्य विषय, जो विनिर्दिष्ट किया जाना है या जिसकी बाबत प्राधिकरण द्वारा उपबंध किया जाना है ।

नियमों और
विनियमों का
संसद् के समक्ष
रखा जाना ।

55. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक

सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम या विनियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उस नियम या विनियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

56. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसको आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

पहली अनुसूची

[धारा 6(1) देखिए]

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति के कृत्य

1. बांध सुरक्षा के मानकों को बनाए रखने और आपदा संबंधी बांध विफलता को रोकने के प्रयोजन के लिए, ऐसी बांध सुरक्षा नीतियां विकसित करना तथा ऐसे आवश्यक विनियमों की सिफारिश करना, जिनकी अपेक्षा की जाए ;
2. विनिर्दिष्ट बांधों और अनुलग्न संरचनाओं में दबाव संबंधी स्थितियों को हटाने हेतु उपचारात्मक उपाय के लिए अपनाई जाने वाली तकनीकों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए मंच के रूप में कार्य करना ;
3. प्रमुख बांध संबंधी घटनाओं और बांध असफलताओं के कारणों का विश्लेषण करना तथा ऐसी घटनाओं और असफलताओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए योजना, विनिर्देश, संनिर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण पद्धतियों में परिवर्तनों का सुझाव देना ;
4. सुरक्षा आश्वासन के वांछित स्तर के लिए बांध सुरक्षा मूल्यांकन, जोखिम निर्धारण और जोखिम प्रबंधन के एकीकरण के रूप में व्यापक बांध सुरक्षा प्रबंधन दृष्टिकोण विकसित करना ; और बांध संबंधी विफलताओं के कारण प्रभावित व्यक्तियों के लिए बीमा रक्षण के द्वारा प्रतिकरों की भी जांच करना ;
5. बांध सुरक्षा से संबंधित किसी ऐसे विनिर्दिष्ट विषय पर सलाह देना, जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाए ;
6. भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर स्थित बांधों के संबंध में सुरक्षोपायों पर केन्द्रीय सरकार के अनुरोध पर सिफारिशें करना ;
7. पुराने बांधों की पुनर्स्थापना संबंधी अपेक्षाओं पर सिफारिशें करना ;
8. ऐसे बांध पुनर्स्थापना कार्यक्रमों पर, राज्यों में जिनका निष्पादन केन्द्रीय या बाहरी वित्तपोषण के माध्यम से किया जा रहा है, अनुकूल पर्यवेक्षण का उपबंध करना ;
9. बांध सुरक्षा के लिए अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों की पहचान करना और निधियों के उपबंध की सिफारिश करना ;
10. जलप्रपातीय बांधों के लिए समन्वित जलाशय प्रचालन के संबंध में सिफारिशें करना ; और
11. बांध सुरक्षा से संबंधित कोई अन्य विनिर्दिष्ट विषय, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किया जाए ।

दूसरी अनुसूची

[धारा 9(1) देखिए]

केन्द्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के कृत्य

1. बांध सुरक्षा मानकों को बनाए रखने और आपदा संबंधी बांध विफलताओं को रोकने के प्रयोजन के लिए ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना, जो राष्ट्रीय समिति द्वारा बनाई गई नीतियों के कार्यान्वयन से संबंधित हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर विनियम बनाना भी है ;

2. राज्यों के राज्य बांध सुरक्षा संगठनों के बीच या किसी राज्य बांध सुरक्षा संगठन और उस राज्य में किसी विनिर्दिष्ट बांध के किसी स्वामी के बीच किसी मुद्दे का समाधान करना ;

3. राज्य बांध सुरक्षा संगठनों को अद्यतन तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता उपलब्ध कराना ;

4. देश में सभी विनिर्दिष्ट बांधों के लिए राष्ट्रीय स्तर के डाटा बेस का अनुरक्षण करना, जिसके अंतर्गत उसमें अपेक्षित गंभीर दबाव की स्थितियां, यदि कोई हों, भी हैं ;

5. राज्य बांध सुरक्षा संगठनों और विनिर्दिष्ट बांध के स्वामियों के साथ बांध सुरक्षा से संबंधित डाटा और पद्धतियों तथा तकनीकी या प्रबंधकीय सहायता संबंधी मानकीकरण के लिए संपर्क बनाए रखना ;

6. विनिर्दिष्ट बांधों और अनुलग्न संरचनाओं के नेमी निरीक्षण और विस्तृत अन्वेषण के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त और जांच सूचियां अधिकथित करना ;

7. देश में प्रमुख बांध संबंधी विफलताओं के अभिलेखों का अनुरक्षण करना ;

8. किसी प्रमुख बांध विफलता के कारण की, अपने स्वयं के इंजीनियरों के माध्यम से या विशेषज्ञों के पैनल के माध्यम से, जहां कहीं आवश्यक हो, जांच कराना और राष्ट्रीय समिति को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;

9. किसी विनिर्दिष्ट बांध के संबंध में किसी प्रमुख लोक सुरक्षा चिंता के कारण का अपने स्वयं के इंजीनियरों के माध्यम से या विशेषज्ञों के पैनल के माध्यम से, जब कभी अपेक्षित हो, जांच करना तथा आगे और अन्वेषणों, प्रचालन संबंधी पैरामीटरों या उपचारात्मक उपायों के संबंध में समुचित अनुदेश जारी करना ;

10. देश में के विनिर्दिष्ट बांधों की भेद्यता और संकट के वर्गीकरण के लिए एक समान मानदंड अधिकथित करना और जब भी आवश्यक हो, ऐसे मानदंड का पुनर्विलोकन करना ;

11. लागू बुक या डाटा बेस को बनाए रखने के संबंध में निदेश देना ;

12. विनिर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की अपेक्षित अर्हताओं और अनुभव के संबंध में निदेश देना ;

13. ऐसे अभिकरणों को प्रत्यायन प्रदान करना, जिन्हें विनिर्दिष्ट बांधों का अन्वेषण, डिजाइन या संनिर्माण सौंपा जा सकेगा ;

14. किसी ऐसे अभिकरण को विनिर्दिष्ट बांधों के अन्वेषण, डिजाइन,

संनिर्माण या परिवर्तन करने से निरहित करना, यदि वह इस अधिनियम के अधीन किसी विनियम का उल्लंघन करता है ;

15. विनिर्दिष्ट बांधों के अन्वेषण, विन्यास या संनिर्माण के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की अपेक्षित अर्हताओं और अनुभव के संबंध में निदेश देना ;

16. विनिर्दिष्ट बांधों के संनिर्माण के दौरान किए जाने वाले क्वालिटी नियंत्रण उपायों के संबंध में निदेश देना ;

17. सन्निर्माणाधीन किसी विनिर्दिष्ट बांध के समीप भू-स्खलनों से असुरक्षित क्षेत्रों में निवारक उपायों के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करना ;

18. ऐसे बांधों की भेद्यता और संकट के वर्गीकरण के आधार पर विनिर्दिष्ट बांधों के बांध सुरक्षा एककों में इंजीनियरों की सक्षमता स्तरों के संबंध में निदेश देना ;

19. विनिर्दिष्ट बांधों में उपस्करों की आवश्यकता और उनके कार्यनिष्पादन को मानीटर करने के लिए उनके लिए प्रतिष्ठापन की रीति के संबंध में निदेश देना ;

20. विनिर्दिष्ट बांधों के आसपास जल-मौसम विज्ञान केन्द्रों की आंकड़े अपेक्षाओं के संबंध में निदेश देना ;

21. विनिर्दिष्ट बांधों के आसपास भूकंप-विज्ञानी स्टेशनों के डाटा अपेक्षाओं के संबंध में निदेश देना ;

22. विनिर्दिष्ट बांधों की भेद्यता और संकट वर्गीकरण के आधार पर ऐसे बांधों के जोखिम निर्धारण अध्ययनों के लिए समय अंतराल के संबंध में निदेश देना ;

23. विनिर्दिष्ट बांधों की भेद्यता और संकट वर्गीकरण के आधार पर ऐसे बांधों की आपातस्थिति कार्य योजनाओं को अद्यतन करने के लिए समय अंतराल के संबंध में निदेश देना ;

24. विनिर्दिष्ट बांधों के व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल के गठन के संबंध में निदेश देना ;

25. विनिर्दिष्ट बांधों की भेद्यता और संकट वर्गीकरण के आधार पर ऐसे बांधों के व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन के लिए समय अंतराल के संबंध में निदेश देना ;

26. विद्यमान विनिर्दिष्ट बांधों के बाढ़ विन्यास के पुनर्विलोकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करना ;

27. विनिर्दिष्ट बांधों के स्थल विनिर्दिष्ट भूकंपी पैरामीटर अध्ययनों के पुनर्विलोकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करना ;

28. जल विज्ञान और मौसम विज्ञान और सूचना से संबंधित वास्तविक डाटा के आदान-प्रदान के लिए किसी बांध के स्वामी द्वारा जलाशयों के प्रचालन से संबंधित समुचित ढांचे को सम्मिलित करते हुए किसी आरंभिक चेतावनी प्रणाली की स्थापना करना ;

29. बांध सुरक्षा के संबंध में सामान्य शिक्षा और जागरूकता का संवर्धन करना ;

30. राष्ट्रीय समिति और उसकी उपसमितियों को सचिवालयिक सहायता

उपलब्ध कराना ;

31. ऐसे बांध पुनर्वास कार्यक्रमों के, जो राज्यों, केंद्रीय या बाह्य वित्तपोषण के माध्यम से निष्पादित किए जाते हैं, समन्वयन और संपूर्ण पर्यवेक्षण का उपबंध करना ; और

32. बांध सुरक्षा से संबंधित कोई अन्य विनिर्दिष्ट विषय, जो उसको केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए ।

तीसरी अनुसूची

[धारा 12(1) देखें]

राज्य बांध सुरक्षा समिति के कृत्य

1. बांध सुरक्षा के मानकों को बनाए रखने तथा आपदा संबंधी बांध विफलता को रोकने के प्रयोजन के लिए ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना जो प्राधिकरण द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, मानकों और अन्य निदेशों के अनुसार आवश्यक हों ;
2. राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा किए गए कार्य का पुनर्विलोकन ;
3. विपत्तिपूर्ण दशाओं में विनिर्दिष्ट बांधों की दशा में संकटग्रस्त दशाओं में अन्वेषणों के लिए पूर्विकताएं स्थापित करना ;
4. ऐसे मामलों में, जहां राज्य में किसी विनिर्दिष्ट बांध की सुरक्षा के संबंध में पहले से ही अन्वेषण किए जा रहे हैं, वहां ऐसे विनिर्दिष्ट बांध की सुरक्षा के संबंध में आगे और अन्वेषणों के लिए आदेश देना और निष्पादन हेतु उत्तरदायित्व सौंपना, जिसके अंतर्गत गैर-विभागीय संसाधनों और स्वतंत्र विशेषज्ञों के संगम का उपयोग भी है, जहां आवश्यक हो ;
5. ऐसे किसी विनिर्दिष्ट बांध की, जो किसी संकटग्रस्त स्थिति में है, सुरक्षा के संबंध में किए जाने हेतु समुचित उपायों की सिफारिश करना ;
6. ऐसी परियोजनाओं के बीच, जिनमें उपचारात्मक सुरक्षा संकर्म अपेक्षित हैं, पूर्विकताएं स्थापित करना ;
7. बांध सुरक्षा के संबंध में सिफारिश किए गए उपायों की प्रगति का पुनर्विलोकन करना ;
8. किसी प्रतिस्रोत राज्य के संबंध में राज्य में विनिर्दिष्ट बांध के जलाशय को भरने की संभावित विवक्षा का निर्धारण करना और ऐसे प्रतिस्रोत राज्यों के साथ न्यूनीकरण उपायों के संबंध में समन्वय करना ;
9. किसी अनुस्रोत राज्य के संबंध में राज्य में विनिर्दिष्ट बांध की विफलता की संभावित विवक्षा का निर्धारण करना और ऐसे अनुस्रोत राज्यों के साथ न्यूनीकरण उपायों के संबंध में समन्वय करना ;
10. जल प्रपातीय बांध विफलता की संभावना का निर्धारण करना और सीमावर्ती राज्यों सहित सभी संबद्ध व्यक्तियों के साथ न्यूनीकरण उपायों के संबंध में समन्वय करना ;
11. राज्य में पुराने हो रहे बांधों के योजनाबद्ध और उपयुक्त रूप से चरणबद्ध पुनर्वास के प्रयोजन के लिए निधियों के उपबंध की सिफारिश करना ;
12. ऐसे बांध सुधार तथा पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए, जिन्हें राज्य वित्त पोषण के माध्यम से निष्पादित किया जाता है, रणनीतिक पर्यवेक्षण का उपबंध करना ;
13. बांधों की सुरक्षा से संबंधित ऐसा कोई अन्य विनिर्दिष्ट विषय, जो उसे राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

बांध महत्वपूर्ण अवसंरचनाएं हैं, जिसका सन्निर्माण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए जल के प्रदाय जैसे बहुउद्देश्यीय उपयोगों के लिए बड़े पैमाने पर निवेश के साथ किया जाता है। कोई असुरक्षित बांध मानव जीवन, पारिस्थितिकी और सार्वजनिक तथा निजी आस्तियों के लिए, जिनके अंतर्गत फसलें, मकान, भवन, नहरें और सड़कें भी हैं, परिसंकटमय हो सकता है। अतः, जनसाधारण के लिए बांध की सुरक्षा एक मुख्य चिंता का विषय है और इसलिए बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना राष्ट्रीय उत्तरदायित्व बन गया है।

2. बांधों की सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने वर्ष 1982 में, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में, भारत में बांधों की सुरक्षा के लिए विद्यमान पद्धतियों का पुनर्विलोकन करने और एकीकृत प्रक्रिया विकसित करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन किया था। स्थायी समिति ने तारीख 10 जुलाई, 1986 की अपनी रिपोर्ट में भारत में सभी बांधों के लिए एकीकृत बांध सुरक्षा प्रक्रिया और बांध सुरक्षा पर आवश्यक विधान की सिफारिश की। बांध सुरक्षा विधान के लिए आरंभिक प्रयास संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समुचित विधान के अधिनियमन के प्रति निदेशित थे और तदनुसार बिहार राज्य ने बांध सुरक्षा अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया। तथापि, कुछ राज्य बांध सुरक्षा पर एक समान केंद्रीय विधान बनाने संबंधी विचार के पक्ष में थे। आंध्र प्रदेश राज्य और पश्चिमी बंगाल राज्य ने अपने राज्यों में बांध सुरक्षा पर संसद् के अधिनियम के लिए संकल्प को स्वीकार किया। तदनुसार, 30 अगस्त, 2010 को लोक सभा में बांध सुरक्षा विधेयक, 2010 पुरःस्थापित किया गया था और जिसे तत्पश्चात् परीक्षा के लिए जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति को निर्दिष्ट किया गया था। संसदीय स्थायी समिति ने अपनी सातवीं रिपोर्ट में बांध सुरक्षा विधेयक, 2010 पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का अनुपालन करते हुए विधेयक में महत्वपूर्ण परिवर्तन/उपांतरण होने के कारण, जल संसाधन मंत्रालय ने उक्त विधेयक को वापस लेने और संसद् में उपांतरित विधेयक को एक नए विधेयक के रूप में पुरःस्थापित करने का विनिश्चय किया। इस बीच 15वीं लोक सभा की अवधि समाप्त हो गई और इसलिए, 15वीं लोक सभा के विघटन होने के साथ ही बांध सुरक्षा विधेयक, 2010 व्यपगत हो गया।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बांध सुरक्षा विधेयक, 2010 पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों को समाविष्ट करते हुए, संपूर्ण भारत को सम्मिलित करने के लिए बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 तैयार किया गया था और जिसे लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। तथापि, सोलहवीं लोक सभा के भंग होने पर, बांध सुरक्षा विधेयक, 2018 व्यपगत हो गया। इसलिए वर्तमान विधेयक, अर्थात् बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 प्रस्तुत है।

4. बांध सुरक्षा विधेयक, 2019 में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध है :—

(क) आपदाओं से संबंधित बांध संबंधी विफलता के निवारण के लिए और बांध सुरक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए कृत्यों के निर्वहन हेतु राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति का गठन और यह समिति बांध सुरक्षा संबंधी नीति

विकसित करेगी तथा ऐसे विनियमों की सिफारिश करेगी, जो उस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हों ;

(ख) विनिर्दिष्ट बांधों की समुचित निगरानी, निरीक्षण और अनुरक्षण के लिए नीति, मार्गदर्शक सिद्धांत और मानकों के क्रियान्वयन के लिए और दो राज्यों के राज्य बांध सुरक्षा संगठनों के बीच या किसी राज्य के राज्य बांध सुरक्षा संगठन और उस राज्य में के बांध स्वामी के बीच किसी मुद्दे का समाधान करने के लिए एक विनियामक निकाय के रूप में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना और कतिपय मामलों में, जहां दो या अधिक राज्यों में बांध का विस्तार करना है या किसी एक राज्य का बांध किसी अन्य राज्य के राज्यक्षेत्र में आता है । यह, राज्य बांध सुरक्षा संगठन की भूमिका भी निभाएगा, जिससे अन्तरराज्यीय विरोधों के लिए संभावित हेतुक समाप्त हो जाएंगे ;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा उस राज्य के सभी विनिर्दिष्ट बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण, प्रचालन और अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए और उनके सुरक्षित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य बांध सुरक्षा समिति का गठन ;

(घ) विनिर्दिष्ट बांधों वाले राज्यों में राज्य बांध सुरक्षा संगठन की स्थापना, जो बांध सुरक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव वाले अधिकारियों द्वारा संचालित होगा ;

(ङ) किसी विनिर्दिष्ट बांध के प्रत्येक स्वामी पर, ऐसे बांधों की सतत सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रचालन और अनुरक्षण व्यवस्था करने के लिए और वर्षा ऋतु पूर्व और वर्षा ऋतु पश्चात् निरीक्षण तथा बाढ़, भूकंप, आदि के दौरान तथा उसके पश्चात् विशेष निरीक्षण करने के लिए और ऐसे अंतरालों पर, जो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, जोखिम निर्धारण अध्ययन करने के लिए बांधों के अनुरक्षण और मरम्मत हेतु पर्याप्त और विनिर्दिष्ट निधि रखने की बाध्यता ;

(च) संबंधित राज्य बांध सुरक्षा संगठन की अपनी अधिकारिता के अधीन बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विनिर्दिष्ट बांधों की शाश्वत निगरानी करने, निरीक्षण करने तथा प्रचालन और अनुरक्षण को मानीटर करने और विनियमों के अनुसार भेद्यता और परिसंकटमय वर्गीकरण के अनुसार उनकी अधिकारिता के अधीन प्रत्येक बांध को वर्गीकृत करने की बाध्यता ;

(छ) राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की अपनी वार्षिक रिपोर्ट को संसद् और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अग्रेषित करने और राज्य बांध सुरक्षा संगठन की बांध सुरक्षा प्रास्थिति पर वार्षिक रिपोर्टों को संबंधित राज्य विधान-मंडल तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अग्रेषित करने की बाध्यता ।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

खंडों पर टिप्पण

खंड 1—यह खंड प्रस्तावित विधान के संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ का उपबंध करता है ।

खंड 2—यह खंड यह घोषणा करता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि संघ को विनिर्दिष्ट बांध के लिए एक रूपात्मक बांध सुरक्षा का विनियमन, प्रस्तावित विधान में उपबंधित विस्तार तक अपने नियंत्रण में लेना होगा ।

खंड 3—यह खंड यह उपबंध करता है कि प्रस्तावित विधान के उपबंध (क) पब्लिक सेक्टर उपक्रम या, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या एक या अधिक सरकारों के संयुक्त रूप से स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन संस्था या निकाय ; और (ख) यथास्थिति, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन उपक्रम या कंपनी या संस्था या निकाय से भिन्न विनिर्दिष्ट बांध के प्रत्येक स्वामी, जो कोई उपक्रम या कंपनी या संस्था या निकाय है, को लागू होते हैं ।

खंड 4—यह खंड प्रस्तावित विधान में प्रयुक्त पदों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित करता है ।

खंड 5—यह खंड “राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति” के नाम से ज्ञात एक राष्ट्रीय समिति के गठन का उपबंध करने के लिए है । उक्त समिति की संरचना भी इस खंड में विनिर्दिष्ट की गई है ।

खंड 6—यह खंड राष्ट्रीय समिति के कृत्यों का उपबंध करने के लिए है । यह खंड उपसमितियां गठित करने की शक्तियां तथा सभी पणधारियों को जानकारी और सूचना के प्रसार का भी उपबंध करता है ।

खंड 7—यह खंड राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति की बैठकों की प्रक्रिया और रीति का उपबंध करने के लिए है । यह खंड यह और उपबंध करता है कि राष्ट्रीय समिति किसी विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी के प्रतिनिधि को और बांध सुरक्षा में ऐसे अन्य विशेषज्ञों को, जो वह अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए समुचित समझे, आमंत्रित कर सकेगी । इस खंड में राष्ट्रीय समिति की बैठकों पर उपगत व्यय से संबंधित उपबंध भी अंतर्विष्ट है ।

खंड 8—यह खंड राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करने के लिए है और उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर, प्रस्तावित विधान के प्रयोजनों के लिए, अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना करेगी । यह खंड यह और उपबंध करता है कि प्राधिकरण की अध्यक्षता, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले किसी ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो भारत सरकार के अपर सचिव या समतुल्य की पंक्ति से नीचे का न हो और जिसके पास बांध इंजीनियरी और बांध सुरक्षा प्रबंध से संबंधित समस्याओं का निपटारा करने का ज्ञान और पर्याप्त अर्हता, अनुभव और क्षमता हो । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में होगा और प्राधिकरण भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालयों की स्थापना कर सकेगा ।

खंड 9—यह खंड राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के कृत्यों का उपबंध करने के लिए है। यह खंड यह उपबंध करता है कि (1) प्राधिकरण, दूसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो विनिर्दिष्ट बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण और अनुरक्षण के लिए राष्ट्रीय समिति द्वारा तैयार की गई नीति, मार्गदर्शक सिद्धांतों और मानकों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों और ऐसे प्रयोजनों के लिए उसे किसी व्यक्ति को हाजिर कराने और कोई ऐसी जानकारी, जो आवश्यक हो, मांगने की शक्ति होगी ; (2) प्राधिकरण राज्यों के राज्य बांध सुरक्षा संगठनों के बीच या किसी राज्य बांध सुरक्षा संगठन और उस राज्य में के बांध के स्वामी के बीच किसी मुद्दे का समाधान करने के लिए सभी प्रयास करेगा ; (3) इस अधिनियम के अधीन विषयों के संबंध में प्राधिकरण का प्रत्येक विनिश्चय अंतिम और आबद्धकर होगा।

खंड 10—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण को प्रस्तावित विधान के अधीन उसके कृत्यों का पालन करने के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जितने वह आवश्यक समझे, उपलब्ध कराएगी। यह खंड यह और उपबंध करता है कि कर्मचारियों के कृत्य, शक्तियां और उनकी सेवा के निबंधन तथा शर्तें वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

खंड 11—यह खंड, उस तारीख से, जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे, राज्य बांध सुरक्षा समिति के नाम से जात एक राज्य समिति के गठन का उपबंध करने के लिए है। यह खंड यह भी उपबंध करता है कि राज्य बांध सुरक्षा समिति, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी। यह खंड यह भी उपबंध करता है कि राज्य समिति का गठन इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा और उसके पश्चात् प्रत्येक तीन वर्ष के लिए उसका पुनर्गठन किया जाएगा।

खंड 12—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि राज्य समिति, तीसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी, जो प्राधिकरण द्वारा जारी बांध सुरक्षा संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों, मानकों और अन्य निदेशों के अनुसार इस अधिनियम के अधीन आपदाओं से संबंधित बांध संबंधी विफलता के निवारण के लिए आवश्यक हों। यह खंड यह और उपबंध करता है कि राज्य समिति, उतनी उपसमितियों द्वारा सहायता प्राप्त करेगी, जितनी वह आवश्यक समझे और राज्य समिति तथा उसकी उपसमितियों को सचिवालयिक सहायता राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा प्रदान की जाएगी।

खंड 13—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि राज्य समिति की बैठकें ऐसे समय और स्थानों पर होंगी तथा अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में, प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, परंतु राज्य समिति, एक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी और कम से कम एक बैठक वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पहले आयोजित की जाएगी। यह खंड यह और उपबंध करता है कि राज्य समिति, किसी विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी के प्रतिनिधि को और बांध सुरक्षा में ऐसे अन्य विशेषज्ञों को, जो वह अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए समुचित समझे, आमंत्रित कर सकेगी। यह खंड यह भी उपबंध करता है कि राज्य समिति की बैठकों पर उपगत व्यय, विशेषज्ञ सदस्यों और अन्य आमंत्रित विशेषज्ञों

को, जो राज्य समिति या उसकी उपसमितियों की बैठकों में उपस्थित होते हैं, संदत्त की जाने वाली फीस और भत्ते उस रीति में होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

खंड 14—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, बांध सुरक्षा से संबंधित विषय में कार्य करने वाले विभाग में “राज्य बांध सुरक्षा संगठन” के नाम से ज्ञात एक पृथक् संगठन की स्थापना करेगी । यह खंड यह और उपबंध करता है कि ऐसे राज्यों में, जहां विनिर्दिष्ट बांधों की संख्या तीस से अधिक है, राज्य बांध सुरक्षा संगठन की अध्यक्षता किसी ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो मुख्य इंजीनियर या समतुल्य की पंक्ति से नीचे का न हो और सभी अन्य दशाओं में राज्य बांध सुरक्षा संगठन की अध्यक्षता किसी ऐसे अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो अधीक्षण इंजीनियर या समतुल्य की पंक्ति से नीचे का न हो । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि राज्य बांध सुरक्षा संगठन, बांध सुरक्षा से संबंधित विषय में कार्य करने वाले विभाग के तकनीकी प्रमुख के प्रति उत्तरदायी होगा और वह उसको रिपोर्ट करेगा । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि राज्य बांध सुरक्षा संगठन की संगठनात्मक संरचना और कार्य प्रक्रियाएं ऐसी होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं और इसके प्रशासनिक और अन्य व्यय संबद्ध राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे ।

खंड 15—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि राज्य सरकार, उस राज्य में विनिर्दिष्ट बांधों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, राज्य बांध सुरक्षा संगठन को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने वह उक्त संगठन के दक्ष कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे । यह खंड अधिकारियों और कर्मचारियों की अर्हता और अनुभव तथा उनके कृत्यों और शक्तियों के संबंध में भी उपबंध करता है ।

खंड 16—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्रत्येक राज्य बांध सुरक्षा संगठन, ऐसे विनिर्दिष्ट बांधों की सतत् सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसकी अधिकारिता के भीतर आने वाले सभी विनिर्दिष्ट बांधों की (क) शाश्वत निगरानी रखेगा ; (ख) निरीक्षण करेगा ; और (ग) उनके प्रचालन और अनुरक्षण को मानिटर करेगा, और ऐसे उपाय करेगा, जो सुरक्षा संबंधी ऐसी चिंताओं का पता लगाने के लिए आवश्यक हों, जो प्राधिकरण द्वारा जारी बांध सुरक्षा संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों, मानकों और अन्य निदेशों के अनुसार और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार बांध सुरक्षा आश्वासन के समाधानप्रद स्तर को प्राप्त करने की दृष्टि से जानकारी में आई हों । यह और उपबंध करता है कि राज्य बांध सुरक्षा संगठन, लोक सुरक्षा के अनुरूप विनिश्चय करने में अपने को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए ऐसे अन्वेषण करेगा या करवाएगा और ऐसे आंकड़े एकत्रित करेगा या एकत्रित करवाएगा, जो उसकी अधिकारिता के अधीन आने वाले बांधों, जलाशयों और अनुलग्न संरचना के डिजाइन, सन्निर्माण, मरम्मत और विस्तारण की विभिन्न विशेषताओं के उचित पुनर्विलोकन और अध्ययन के लिए अपेक्षित हों ।

खंड 17—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि राज्य बांध सुरक्षा संगठन, उसकी अधिकारिता के अधीन आने वाले प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध को इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार भेद्यता और परिसंकट वर्गीकरण मानक के

अनुसार वर्गीकृत करेगा ।

खंड 18—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्रत्येक संबद्ध राज्य बांध सुरक्षा संगठन उसकी अधिकारिता के अधीन आने वाले प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध के लिए एक लागू बुक या डाटा बेस रखेगा, जिसमें निगरानी और निरीक्षण से संबंधित सभी क्रियाकलाप और बांध सुरक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाएं ऐसे ब्यौरों के साथ तथा ऐसे प्ररूप में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अभिलिखित किया जाएगा । यह और उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य बांध सुरक्षा संगठन, प्राधिकरण को, उसके द्वारा जब कभी अपेक्षित हो, ऐसी सभी जानकारी प्रस्तुत करेगा ।

खंड 19—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्रत्येक राज्य बांध सुरक्षा संगठन, उसकी अधिकारिता के अधीन किसी बांध संबंधी विफलता की घटना की रिपोर्ट प्राधिकरण को करेगा और उसे, जब कभी उसके द्वारा अपेक्षा की जाए, सूचना देगा । यह और उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य बांध सुरक्षा संगठन, उसकी अधिकारिता के अधीन आने वाले प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध की प्रमुख बांध संबंधी घटनाओं के अभिलेख रखेगा और प्राधिकरण को, जब कभी उसके द्वारा अपेक्षित हो, ऐसी सभी सूचना देगा ।

खंड 20—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्रत्येक राज्य बांध सुरक्षा संगठन, विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी को किसी बांध के संबंध में किए जाने के लिए अपेक्षित सुरक्षा या उपचारात्मक उपायों पर अपने अनुदेश देगा । यह और उपबंध करता है कि विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा उसके स्वामित्व वाले किसी विनिर्दिष्ट बांध के संबंध में सुरक्षा या उपचारात्मक उपायों के संबंध में जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन करेगा ।

खंड 21—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, विनिर्दिष्ट बांधों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए तथा राज्य बांध सुरक्षा संगठन की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त और विनिर्दिष्ट निधियों को निश्चित करेगा ।

खंड 22—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, जलविज्ञान, बांध के आधार, बांध की संरचना संबंधी इंजीनियरी, बांध का जल विभाजन, ऊपरी प्रवाह और बांध के भूमि संबंधी निचले प्रवाह की प्रकृति या उपयोग से संबंधित सभी तकनीकी प्रलेखीकरणों को आर्थिक या संभारतंत्र या पर्यावरणीय संबंधी महत्व के ऐसे सभी संसाधनों या सुविधाओं से संबंधित, जिनके बांध संबंधी विफलता होने के कारण प्रभावित होने की संभावना है, जानकारियों के साथ संकलित करेगा । यह और उपबंध करता है कि विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, राज्य बांध सुरक्षा संगठन और प्राधिकरण को, जब कभी उनके द्वारा अपेक्षा की जाए, ऐसी सभी जानकारी देगा ।

खंड 23—यह खंड विनिर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की अर्हताएं और अनुभव का उपबंध करने के लिए है कि विनिर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा और उनसे संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति के पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव होगा तथा वह ऐसा प्रशिक्षण पूरा करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

खंड 24—यह खंड राज्य बांध सुरक्षा संगठन और राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण

की अधिकारिता का उपबंध करने के लिए है कि सभी विनिर्दिष्ट बांध, बांध निरीक्षण, सूचना के विश्लेषण, अन्वेषण सुरक्षा प्रास्थिति से संबंधित रिपोर्टों या सिफारिशों और बांध सुरक्षा में सुधार करने के लिए किए जाने वाले उपचारात्मक उपायों से संबंधित विषयों में, उस राज्य के, जिसमें ऐसा बांध स्थित है, राज्य बांध सुरक्षा संगठन की अधिकारिता के अधीन होंगे ; और सभी ऐसे विषयों में विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी द्वारा पूर्ण सहयोग दिया जाएगा, परंतु जहां कोई विनिर्दिष्ट बांध किसी केंद्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम के स्वामित्वाधीन है या जहां कोई विनिर्दिष्ट बांध दो या अधिक राज्यों में विस्तारित है या जहां किसी एक राज्य में के विनिर्दिष्ट बांध का स्वामी कोई अन्य राज्य है, वहां प्राधिकरण का, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य बांध सुरक्षा संगठन के रूप में अर्थ लगाया जाएगा । यह और उपबंध करता है कि ऐसे सभी बांधों में, जहां प्राधिकरण राज्य बांध सुरक्षा संगठन की भूमिका निभाता है, वहां ऐसी राज्य सरकारों को, जिनकी अधिकारिता में ऐसे बांध स्थित हैं, इन विनिर्दिष्ट बांधों से संबंधित सभी ऐसी जानकारियों तक, जो प्राधिकरण के पास उपलब्ध हैं, पहुंच प्राप्त होगी । यह भी उपबंध करता है कि प्राधिकरण या संबंधित राज्य बांध सुरक्षा संगठन का प्राधिकृत प्रतिनिधि इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कोई निरीक्षण या अन्वेषण करने के प्रयोजनों के लिए, जब कभी अपेक्षित हो, विनिर्दिष्ट बांध के किसी भाग या उसके स्थल में प्रवेश कर सकेगा और ऐसी अन्वेषण पद्धतियों का उपयोग कर सकेगा, जो आवश्यक समझी जाएं और निरीक्षण या अन्वेषण करने के पश्चात्, प्रतिनिधि की यह राय है कि कतिपय उपचारात्मक उपाय किए जाने अपेक्षित हैं तो वह ऐसे विनिर्दिष्ट बांध के भारसाधक अधिकारी को और संबंधित राज्य बांध सुरक्षा संगठन को ऐसे उपचारात्मक उपायों की रिपोर्ट करेगा । यह भी उपबंध करता है कि विनिर्दिष्ट बांधों के, उनकी समय-सीमा, विकृति, अवक्रमण, संरचना संबंधी या अन्य बाधाओं के कारण संकटापन्न पाए जाने की दशा में प्राधिकरण और संबंधित राज्य बांध सुरक्षा संगठन ऐसे प्रचालन संबंधी पैमानों के आधार पर, ऐसे उपचारात्मक उपायों का (जिसके अन्तर्गत अधिकतम जलाशय स्तर, अधिकतम उत्प्लव मार्ग निस्सारण और अन्य स्थानों के माध्यम से अधिकतम निस्सारण भी है) जो वह आवश्यक समझे, सुझाव देगा । यह भी उपबंध करता है कि इस खंड की कोई बात, विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी या किसी अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति को, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसे न्यस्त किए गए किन्हीं उत्तरदायित्वों या बाध्यताओं से मुक्त नहीं करेगी और इस खंड के उपबंध इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में ।

खंड 25—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्राधिकरण या राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा किए गए किसी प्रकार के अन्वेषण पर उपगत की जाने वाली सभी लागतों का वहन, जिसके अन्तर्गत किसी परामर्शी और विशेषज्ञ को दिए जाने वाले संदाय भी हैं, विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी द्वारा किया जाएगा ।

खंड 26—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि किसी विनिर्दिष्ट बांध का कोई संनिर्माण या परिवर्तन कार्य, ऐसे अभिकरणों द्वारा, जो यथास्थिति, प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायित हों, किए जाने वाले अन्वेषण, डिजाइन और संनिर्माण कार्य के अधीन रहते हुए किया जाएगा, परंतु प्राधिकरण किसी ऐसे अभिकरण को निरहित कर सकेगा, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है । यह और उपबंध

करता है कि प्रत्येक अभिकरण, विनिर्दिष्ट बांध की सुरक्षा का डिजाइन बनाने या मूल्यांकन करने के प्रयोजन के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की सुसंगत मानक संहिताओं और मार्गदर्शक सिद्धांतों का उपयोग करेगा तथा यदि डिजाइन या बांध सुरक्षा मूल्यांकन में कोई विचलन किया गया है, तो उसके कारण देगा। यह भी उपबंध करता है कि (1) अभिकरण अन्वेषण, डिजाइन और संन्निर्माण के प्रयोजन के लिए ऐसे अर्हित, अनुभवी और सक्षम इंजीनियरों को नियोजित करेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं; (2) अभिकरण, बांध के डिजाइन का अनुमोदन करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की सुसंगत संहिताओं और मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों के अनुसार डिजाइन की सुरक्षा, प्रचालन संबंधी मानकों और नीतियों का प्रदर्शन करेगा; (3) अभिकरण, बांध संन्निर्माण के प्रयोजन के लिए ऐसे क्वालिटी नियंत्रण उपायों को करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। यह भी उपबंध करता है कि किसी विनिर्दिष्ट बांध का संन्निर्माण या किसी विद्यमान विनिर्दिष्ट बांध का परिवर्तन या विस्तारण ऐसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किया जाएगा, जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

खंड 27—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि किसी विनिर्दिष्ट बांध के किसी जलाशय के आरंभिक भराव से पूर्व, उसके डिजाइन के लिए जिम्मेदार अभिकरण, बांध और उसकी अनुलग्न संरचनाओं के कार्य-निष्पादन को मानिटर करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त समय से, भराव संबंधी मापदंड बनाएगा और एक आरंभिक भराव योजना तैयार करेगा। यह खंड यह और उपबंध करता है कि जलाशय का आरंभिक भराव किए जाने से पूर्व, राज्य बांध सुरक्षा संगठन, बांध का निरीक्षण करेगा या अपने स्वयं के इंजीनियरों द्वारा या विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल द्वारा निरीक्षण करवाएगा, जो आरंभिक भराव कार्यक्रम की भी परीक्षा करेगा और भराव के लिए बांध की उपयुक्तता को सम्यक् रूप से प्रमाणित करते हुए उसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा।

खंड 28—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, विनिर्दिष्ट बांध के लिए प्रचालन और अनुरक्षण स्थापन उपलब्ध कराएगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे प्रत्येक बांध पर पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित प्रचालन और अनुरक्षण इंजीनियर या तकनीकी व्यक्ति तैनात किए जाएंगे। यह खंड यह और उपबंध करता है कि विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध पर उचित प्रलेखीकृत प्रचालन और अनुरक्षण निर्देशिका रखी जाए और सभी समय पर उसका अनुसरण किया जाए।

खंड 29—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि किसी विनिर्दिष्ट बांध का स्वामी बांध या जलाशय के संन्निर्माण, प्रचालन, अनुरक्षण और पर्यवेक्षण के लिए अनुषंगी कर्तव्यों, बाध्यताओं या दायित्वों से मुक्त हो गया है।

खंड 30—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध के लिए स्वामी, उसके प्रचालन और अनुरक्षण स्थापन के भीतर ऐसे सक्षम स्तरों के इंजीनियरों से, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, गठित एक बांध सुरक्षा इकाई को उपलब्ध कराएगा।

खंड 31—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि किसी विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, प्रत्येक वर्ष अपनी बांध सुरक्षा इकाई के माध्यम से, ऐसे प्रत्येक बांध

के संबंध में वर्षा ऋतु के पहले और वर्षा ऋतु के पश्चात् निरीक्षण कराएगा । यह और उपबंध करता है कि किसी विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, प्रत्येक बाढ़ के दौरान और उसके पश्चात्, भूकंप या किन्हीं अन्य प्राकृतिक या मानव निर्मित विपत्तियों के पश्चात् या यदि बांध में कोई संकटग्रस्त या असामान्य प्रतिक्रिया का कोई संकेत देखा जाता है तो प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध का निरीक्षण करेगा या बांध सुरक्षा इकाई द्वारा उसका निरीक्षण कराएगा । यह भी उपबंध करता है कि किसी विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, (क) निर्दिष्ट सभी निरीक्षण ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्तों और जांच सूचियों के अनुसार करेगा जो विनियमों द्वारा विनिश्चित की जाएं ; (ख) संपूर्ण वर्षा अवधि में प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध स्थल पर, ऐसे इंजीनियरों और अन्य तकनीकी कार्मिकों को तैनात करेगा, जिनका राज्य बांध सुरक्षा संगठन के परामर्श से विनिश्चय किया जाए, परंतु ऐसे इंजीनियरों और अन्य तकनीकी कार्मिकों को, ऐसी किसी अन्य प्राकृतिक या मानव निर्मित विपत्तियों के पश्चात्, जिससे बांध में संकटग्रस्त स्थितियां पैदा हो सकती हैं, संपूर्ण आपात अवधि के दौरान उनके अपने-अपने बांध स्थलों पर तैनात किया जाना अपेक्षित होगा ; (ग) बांध सुरक्षा इकाई द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट, राज्य बांध सुरक्षा संगठन को भेजेगा, जो उस रिपोर्ट का विश्लेषण करेगा और विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी को कमियों पर टीका-टिप्पणियां और उपचारात्मक उपाय, यदि कोई हों, प्रस्तुत करेगा ।

खंड 32—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध में प्रतिष्ठापित किए जाने वाले उपकरण किसी विनिर्दिष्ट बांध के प्रत्येक स्वामी के पास, ऐसे प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध पर ऐसे साधन विनियोग की न्यूनतम संख्या और जिसे ऐसी रीति में, जो ऐसे बांध के निष्पादन को मॉनीटर करने के लिए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, संस्थापित होगा । यह खंड यह और उपबंध करता है कि विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी साधन विनियोगों के पाठ्यांकों का अभिलेख रखेगा और ऐसे पाठ्यांकों के विश्लेषण को ऐसे प्ररूप, रीति और ऐसे अंतरालों पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, राज्य बांध सुरक्षा संगठन को भेजेगा ।

खंड 33—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, प्रत्येक ऐसे विनिर्दिष्ट बांध के समीप जल-मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित करेगा, जो ऐसे आंकड़े अभिलिखित करने में समर्थ हैं, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं । यह खंड यह और उपबंध करता है कि विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, किसी उपयुक्त स्थान पर आंकड़ों का संग्रहण, संकलन, प्रक्रमण और भंडारण करेगा ।

खंड 34—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि ऐसे प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध की दशा में, जिसकी ऊंचाई तीस मीटर या उससे अधिक है या जो ऐसे भूकंप जोन में आता है, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, विनिर्दिष्ट बांध का स्वामी, सूक्ष्म और प्रबल गति के भूकंपों तथा ऐसे अन्य आंकड़ों को, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, अभिलिखित करने के लिए प्रत्येक ऐसे बांध के समीप एक भूकंपविज्ञानी केंद्र स्थापित करेगा । यह और उपबंध करता है कि किसी विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, डाटा का संग्रहण, संकलन, प्रक्रमण और भंडारण ऐसे उपयुक्त स्थान पर और ऐसी रीति में करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

खंड 35—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, ऐसे प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध के संबंध में, (क) सुअभिकल्पित जल-मौसम विज्ञान नेटवर्क और एक अंतःप्रवाही पूर्वानुमान प्रणाली स्थापित करेगा ; (ख) बांध के अनुप्रवाह अधिसंभाव्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए आपात बाढ़ चेतावनी प्रणाली

स्थापित करेगा ; (ग) खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रणालियों के कार्यकरण का आवधिक रूप से परीक्षण करेगा या करवाएगा ; (घ) ऐसे वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण संस्थापित करेगा, जो बांध सुरक्षा और अनुप्रवाह क्षेत्र के लोगों के जीवन और संपत्ति को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए समय-समय पर आविष्कृत या अंगीकृत किए गए हैं ; (ङ) संबंधित प्राधिकारियों को बाढ़ संबंधी चेतावनी सहित अधिकतम पूर्वानुमानित अंतर्वाह और बहिर्वाह तथा उसका बांध की धारा के प्रतिकूल प्रवाह या अनुप्रवाह से संबंधित व्यक्तियों और संपत्ति पर प्रतिकूल समाघात, यदि कोई हो, से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा और ऐसी जानकारी को सार्वजनिक पटल पर भी रखेगा ; (च) जलाशयों के प्रचालन से संबंधित वास्तविक समय के जल-विज्ञान और मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़ों तथा जानकारी के आदान-प्रदान के लिए आरंभिक चेतावनी प्रणाली के संस्थापन और उसको चलाने में प्राधिकरण को आवश्यक सहायता देगा । यह और उपबंध करता है कि किसी विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, अपने प्रत्येक बांध के लिए ऐसे अंतराल पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, जोखिम निर्धारण अध्ययन करेगा और ऐसा पहला अध्ययन इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष के भीतर किया जाएगा ।

खंड 36—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि किसी विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध के संबंध में, (क) जलाशय की आरंभिक भराई की अनुज्ञा देने से पूर्व आपात कार्य योजना तैयार करेगा और तत्पश्चात् नियमित अंतरालों पर ऐसी योजनाओं को अद्यतन करेगा ; (ख) ऐसे बांध के संबंध में, जिनका सन्निर्माण और भराई इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व की गई है, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पांच वर्ष के भीतर आपात कार्य योजना तैयार करेगा और तत्पश्चात् ऐसे नियमित अंतरालों पर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, ऐसी योजनाओं को अद्यतन करेगा । यह और उपबंध करता है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट आपात कार्य योजना में (क) किसी वास्तविक या आसन्न बांध विफलता की दशा में विनिर्दिष्ट बांध की धारा के प्रतिकूल प्रवाह या अनुप्रवाह वाले व्यक्तियों और संपत्ति की संरक्षा के लिए या आपदा के प्रभावों को कम करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाएं उपवर्णित होंगी ; (ख) उसमें (i) ऐसे आपातों के प्रकार सम्मिलित होंगे, जिनके किसी जलाशय के प्रचालन में घटित होने की संभावना है ; (ii) किसी बांध संबंधी विफलता की दशा में, जलाशय से छोड़े गए बाढ़ के पानी के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों, जनसंख्या, संरचनाओं और संस्थापनों के साथ संभावी विध्वंसात्मक बाढ़ का पता लगाना सम्मिलित होगा ; (iii) संभाव्य प्रतिकूल स्थितियों से, विशेष रूप से मानव जीवन की हानि से बचने के लिए दक्ष और सर्वोत्तम संभावित रीति से निबटने के लिए, चेतावनी प्रक्रियाएं, जल प्लावन मानचित्र और अग्रिम तैयारियां सम्मिलित होंगी ; (iv) ऐसे अन्य विषय सम्मिलित होंगे, जो भौगोलिक दशाओं, विनिर्दिष्ट बांध के आकार और ऐसे अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखकर आवश्यक हों । यह और उपबंध करता है कि आपात कार्य योजना को तब कार्यान्वित किया जाएगा, जब कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न हों, जो किसी विनिर्दिष्ट बांध के लिए परिसंकटमय हों या उसके लिए परिसंकटमय हो सकती हैं या सार्वजनिक सुरक्षा, अवसंरचना, अन्य संपत्ति के लिए या पर्यावरण के लिए संभवतः परिसंकटमय हो सकती हैं । यह भी उपबंध करता है कि विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी आपात कार्य योजना को तैयार करते समय और उसे अद्यतन करते समय, सभी आपदा प्रबंधन अभिकरणों और राज्य के अन्य ऐसे विभाग, जिन्हें

प्रभावित होने वाले क्षेत्र में आपदा प्रबंधन और राहत संबंधी कार्य सौंपा गया हो, और प्रभावित होने वाले निकटतम समीप्य बांधों के स्वामियों के साथ परामर्श करेगा, जिससे बांध सुरक्षा के मुद्दों पर समन्वय और पारदर्शिता को लाया जा सके और अवांछित भय का निराकरण किया जा सके ।

खंड 37—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्रत्येक स्वामी, संगठन और प्राधिकारी, विनिर्दिष्ट बांधों में उदभूत किसी आपदा या आपातस्थिति से निपटने या कम करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्राधिकारियों को, यदि ऐसा अपेक्षित हो, आवश्यक सहायता प्रदान करेगा ।

खंड 38—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि किसी विनिर्दिष्ट बांध का स्वामी, विनिर्दिष्ट बांध और उसके जलाशय की दशाओं के अवधारण के प्रयोजन के लिए, विनियमों के अनुसार गठित विशेषज्ञों के किसी स्वतंत्र पैनल के माध्यम से प्रत्येक विनिर्दिष्ट बांध का व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन करेगा या करवाएगा परंतु प्रत्येक विद्यमान विनिर्दिष्ट बांध का पहला व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से पांच वर्ष के भीतर किया जाएगा और तत्पश्चात् प्रत्येक ऐसे बांध का व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन ऐसे नियमित अंतरालों पर किया जाएगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए । यह और उपबंध करता है कि व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, किन्तु यह इन तक ही सीमित नहीं होगा,— (क) ढांचे के डिजाइन, संनिर्माण, प्रचालन, अनुरक्षण और प्रदर्शन पर उपलब्ध आंकड़े का पुनर्विलोकन और विश्लेषण; (ख) विनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट डिजाइन बाढ़ के आज्ञापक पुनर्विलोकन सहित जलराशिक और जल व्यवस्था संबंधी परिस्थितियों का साधारण निर्धारण ; (ग) कतिपय दशाओं में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, आज्ञापक स्थल विशिष्ट भूकंप पैरामीटरों के साथ विनिर्दिष्ट बांध की भूकंपीय सुरक्षा का साधारण निर्धारण ; (घ) प्रचालन, अनुरक्षण और निरीक्षण प्रक्रियाओं का मूल्यांकन; और (ङ) किन्हीं अन्य परिस्थितियों का मूल्यांकन, जो ढांचे की समग्रता के लिए परिसंकटमय हो ।

खंड 39—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि व्यापक बांध मूल्यांकन,— (क) मूल ढांचे या डिजाइन संबंधी मानदंड में वृहत्त उपांतरण ; (ख) बांध या जलाशय के किनारे पर किसी अप्रायिक स्थिति का पता लगने ; और (ग) चरम जलीय या भूकंपीय घटना के बाद की दशा में अनिवार्य हो जाएगा ।

खंड 40—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि किसी विनिर्दिष्ट बांध का स्वामी बांध सुरक्षा मूल्यांकन के परिणामों की रिपोर्ट राज्य बांध सुरक्षा संगठन को देगा । यह खंड यह और उपबंध करता है कि रिपोर्टों में, (क) ढांचे के डिजाइन, जल विज्ञान, संनिर्माण, प्रचालन, अनुरक्षण और निष्पादन का दृष्टिक संप्रेक्षण और उससे संबंधित उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ढांचे की स्थिति का निर्धारण ; (ख) ढांचे की तत्काल सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किन्हीं आपात उपायों या कार्रवाइयों की सिफारिशें, यदि अपेक्षित हों ; (ग) ढांचे के डिजाइन, संनिर्माण, प्रचालन, अनुरक्षण और निरीक्षण से संबंधित उपचारात्मक उपायों और कार्रवाइयों की सिफारिशें, यदि अपेक्षित हो ; (घ) अतिरिक्त विस्तृत अध्ययन, अन्वेषण और विश्लेषण की सिफारिशें, यदि अपेक्षित हो ; और (ङ) बांधों के नैत्यक अनुरक्षण और निरीक्षण में सुधार करने हेतु सिफारिशें, यदि अपेक्षित हो, सम्मिलित होंगे, किन्तु यह उन तक ही सीमित नहीं होंगे । यह भी उपबंध करता है कि सुरक्षा मूल्यांकन का परिणाम उपचारात्मक उपाय की सिफारिश है, वहां राज्य बांध सुरक्षा संगठन, विनिर्दिष्ट बांध

के स्वामी से यह सुनिश्चित करने के लिए पैरवी करेगा कि ऐसे उपचारात्मक उपाय समय पर किए जाएं, जिनके लिए स्वामी पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराएगा और उस दशा में, जहां व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल और विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी के बीच कोई अनिर्णीत विषय उद्भूत होता है, वहां ऐसा विषय राज्य बांध सुरक्षा संगठन को निर्दिष्ट किया जाएगा, और उस पर कोई समझौता न हो पाने की दशा में उक्त विषय को प्राधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो उस संबंध में अपनी सलाह देगा और उसके कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकार को सिफारिशें करेगा ।

खंड 41—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि जो कोई बिना किसी युक्तियुक्त कारण के, (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी को या राष्ट्रीय समिति या प्राधिकरण या राज्य समिति या राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा ; या (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय समिति या प्राधिकरण या राज्य समिति या राज्य बांध सुरक्षा संगठन के द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी निदेश का पालन करने से इंकार करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा और यदि ऐसी बाधा डालने या निदेशों के पालन से इंकार करने का परिणाम जीवन हानि या उसके लिए आसन्न संकट है, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा ।

खंड 42—यह खंड सरकार के विभागों द्वारा अपराध हेतु उपबंध करने के लिए है और यह उपबंध करता है कि जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है, वहां विभाग का प्रमुख, अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा, जब तक वह यह साबित नहीं कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी । यह भी उपबंध करता है कि जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी सरकारी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध, विभाग प्रमुख से भिन्न किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी उपेक्षा का कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा अधिकारी उस उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

खंड 43—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि जहां, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी या निगमित निकाय द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होंगे परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने के निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी । यह भी उपबंध करता है कि जहां इस अधिनियम के

अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

खंड 44—यह खंड अपराधों के संज्ञान हेतु उपबंध करने के लिए है कि कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा या राष्ट्रीय समिति या प्राधिकरण या राज्य समिति या राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के सिवाय नहीं करेगा । यह खंड यह और उपबंध करता है कि महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

खंड 45—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्रत्येक राज्य बांध सुरक्षा संगठन, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन मास के भीतर अपने कार्यकलापों और राज्य में विनिर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा प्रास्थिति की एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और ऐसी रिपोर्ट को प्राधिकरण और राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा और वह सरकार उसे, जहां राज्य विधान-मंडल में दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान मंडल में केवल एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी । यह और उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य बांध सुरक्षा संगठन और किसी विनिर्दिष्ट बांध का प्रत्येक स्वामी, प्राधिकरण को, जब कभी अपेक्षित हो, ऐसे रूप विधान में और ऐसी रीति में, जैसा प्राधिकरण द्वारा विनिश्चय किया जाए, परियोजनाओं के प्रलेखन, विफलता की जांचों की रिपोर्ट और कोई अन्य आंकड़े उपलब्ध करवाएगा । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि प्राधिकरण देश में बांध सुरक्षा क्रियाकलापों की एक समेकित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह मास के भीतर केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा तथा वह सरकार उसे संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी । यह भी उपबंध करता है कि प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा प्रास्थिति पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट अग्रेषित करेगा और वह ऐसी रिपोर्ट सार्वजनिक पटल पर भी उपलब्ध करवाएगा और प्रत्येक राज्य का राज्य बांध सुरक्षा संगठन संबंधित राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अपनी वार्षिक रिपोर्ट अग्रेषित करेगा और वह ऐसी रिपोर्ट सार्वजनिक पटल पर भी उपलब्ध करवाएगा ।

खंड 46—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि विनिर्दिष्ट बांधों से भिन्न बांध का प्रत्येक स्वामी, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार ऐसे उपाय करेगा, जो बांध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों और ऐसे उपायों का पालन करेगा ।

खंड 47—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि जहां कोई बांध जिसके अंतर्गत भू-स्खलन या हिमनदीय, हिमोढ़ के कारण सृजित कोई बांध भी है, भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर अवस्थित है और प्राधिकरण की स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति या संगठन या प्राधिकारी या स्रोत से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रथमदृष्टया यह राय है कि ऐसे बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने अपेक्षित हैं और

जिनकी विफलता भारत में अवस्थित लोगों के जीवन और संपत्ति के लिए संकटापन्न हो सकेगी, वहां वह केन्द्रीय सरकार को, लिखित में उसकी प्रज्ञापना, उसमें ऐसे संभावित नुकसानों, जो ऐसे बांधों की विफलता के कारण उद्भूत हो सकेंगे और ऐसे बांध के संबंध में किए जाने वाले अपेक्षित सुरक्षा उपायों को उपदर्शित करते हुए करेगा और केन्द्रीय सरकार किसी संभावित आशंका को कम करने के लिए सभी यथोचित उपाय करेगी ।

खंड 48—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

खंड 49—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची का संशोधन कर सकेगी और तदुपरि, अनुसूचियां तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएंगी और इस खंड के अधीन प्रत्येक अधिसूचना की प्रति उसके जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

खंड 50—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को, जहां वह राज्य सरकार विनिर्दिष्ट बांध की स्वामी है और किसी अन्य मामले में, किसी विनिर्दिष्ट बांध के स्वामी को, ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह आवश्यक समझे ।

खंड 51—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि राष्ट्रीय समिति, प्राधिकरण और राज्य समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि—(क) प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; (ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या (ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव डालती है ।

खंड 52—यह खंड केन्द्रीय सरकार के नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है और यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी । विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :— (क) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति की बैठकों का समय और स्थान तथा ऐसी बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय समिति की बैठकों पर उपगत व्यय ; (ख) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन बांध सुरक्षा के क्षेत्र में या अन्य ऐसे क्षेत्र में प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की अर्हताएं और अनुभव ; (ग) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के कृत्य, शक्तियां और सेवा के निबंधन और शर्तें ; (घ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा, नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

खंड 53—यह खंड राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है और राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी । ऐसे नियम सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर

सकेंगे, अर्थात् :—(क) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन राज्य समिति की बैठकों का समय और स्थान तथा ऐसी बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ; (ख) धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन राज्य समिति की बैठकों पर उपगत व्यय ; (ग) धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन राज्य समिति या उसकी उपसमितियों के विशेषज्ञ सदस्यों या आमंत्रित विशेषज्ञों को संदत्त फीस और भत्ते ; (घ) धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन राज्य बांध सुरक्षा संगठन का संगठनात्मक ढांचा और कार्य प्रक्रिया ; (ङ) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन बांध सुरक्षा के क्षेत्र में या अन्य ऐसे क्षेत्र में प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की अर्हताएं और अनुभव ; (च) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन राज्य बांध सुरक्षा संगठन के कर्मचारियों के कृत्य, शक्तियां और सेवा के निबंधन और शर्तें ; (छ) धारा 46 के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों से भिन्न बांधों के संबंध में बांध सुरक्षा उपाय ; (ज) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसकी बाबत राज्य सरकार द्वारा, नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है । यह और उपबंध करता है कि इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहां विधान-मंडल के समक्ष या जहां ऐसे विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

खंड 54—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि प्राधिकरण, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बना सकेगा और ऐसे विनियम सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :— (क) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन बांध सुरक्षा आश्वासन का संतोषजनक स्तर प्राप्त करने के लिए मानक और अन्य निदेश ; (ख) धारा 17 के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों की भेद्यता और संकट वर्गीकरण के लिए मानदंड ; (ग) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन लागू बुक या डाटा बेस के अनुरक्षण से संबंधित ब्यौरे ; (घ) धारा 23 के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की अर्हताएं और अनुभव ; (ङ) धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों के अन्वेषण, डिजाइन और संनिर्माण के लिए उत्तरदायी इंजीनियरों की अर्हताएं और अनुभव ; (च) धारा 26 की उपधारा (5) के अधीन बांध संनिर्माण के प्रयोजन के लिए क्वालिटी नियंत्रण उपाय ; (छ) धारा 30 के अधीन बांध सुरक्षा इकाइयों के लिए सक्षम इंजीनियरों का स्तर ; (ज) धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों के निरीक्षण के लिए जांच सूचियां ; (झ) धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों में उपस्कर सेटों की न्यूनतम संख्या और उनके प्रतिष्ठापन की रीति ; (ञ) धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन राज्य बांध सुरक्षा संगठन को पाठ्यांकन का विश्लेषण भेजने का प्ररूप, रीति और समय अंतराल ; (ट) धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों के आसपास जल-मौसम विज्ञान केन्द्रों की आंकड़ों की अपेक्षाएं ; (ठ) धारा 34 की उपधारा (2) के अधीन डाटा संग्रहण, संकलन, प्रकमण और भंडारण का उपयुक्त स्थान और रीति ; (ड) धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों के आसपास भूकंप-विज्ञानी केन्द्रों की आंकड़ों की अपेक्षाएं ; (ढ) धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन किए जाने वाले जोखिम निर्धारण अध्ययनों का समय अंतराल ; (ण) धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन आपात कार्य योजना को अद्यतन करने के लिए समय अंतराल ; (त) धारा 38 की उपधारा

(1) के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों के व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन के लिए समय अंतराल ; (थ) धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन विद्यमान विनिर्दिष्ट बांधों के बाढ़ संबंधी डिजायन का आजापक पुनर्विलोकन ; (द) धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन विद्यमान विनिर्दिष्ट बांधों का आजापक स्थल विनिर्दिष्ट भूकंप-विज्ञानी पैरामीटर अध्ययन ; (ध) धारा 46 के अधीन ऐसे उपाय, जो विनिर्दिष्ट बांधों से भिन्न बांध के प्रत्येक स्वामी द्वारा बांध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनावश्यक हों ; (न) कोई अन्य विषय, जो विनिर्दिष्ट किया जाना है या जिसकी बाबत राष्ट्रीय समिति द्वारा विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

खंड 55—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा किंतु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । यह खंड यह भी उपबंध करता है कि इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहां विधान-मंडल के समक्ष या जहां ऐसे विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

खंड 56—यह खंड यह उपबंध करने के लिए है कि यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसको आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा । यह खंड यह और उपबंध करता है कि इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

वित्तीय जापन

विधेयक का खंड 5 बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति का गठन करने का उपबंध करने के लिए है और विधेयक का खंड 6 और खंड 7 राष्ट्रीय समिति के कृत्यों और बैठकों का और उसके व्यय का उपबंध करने के लिए है। विधेयक के इन खंडों के संबंध में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति के व्ययों के लिए लगभग सत्तर लाख रुपए प्रति वर्ष का निर्देशात्मक आवर्ती व्यय प्रत्याशित है। इसके अतिरिक्त, विधेयक का खंड 8 राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना और संरचना का उपबंध करने के लिए है तथा विधेयक के खंड 9 और खंड 10 में प्राधिकरण के कृत्यों तथा उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में उपबंध किया गया है। विधेयक के इन खंडों के संबंध में सरकारी भूमि की उपलब्धता की उपधारणा करने वाले राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के कार्यालय के भवन और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन के लिए तैंतीस करोड़ रुपए का निर्देशात्मक व्यय प्रत्याशित है। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के अधिकारियों, कर्मचारिवृंदों, परामर्शदाताओं के पारिश्रमिक को और अन्य प्रकीर्ण कार्यालय संबंधी व्ययों को पूरा करने के लिए निर्देशात्मक प्राक्कलित व्यय चौदह करोड़ रुपए प्रति वर्ष है।

विधेयक के उपबंधों में आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई अन्य व्यय अंतर्वलित नहीं है।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में जापन

खंड 52 का उपखंड (1) केंद्रीय सरकार को प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है। उपखंड (2) में वे विषय विनिर्दिष्ट हैं, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे। इन विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

(क) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय समिति की बैठकों का समय और स्थान तथा ऐसी बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, और धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन राष्ट्रीय समिति की बैठकों पर उपगत व्यय ; (ख) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन बांध सुरक्षा के क्षेत्र में या ऐसे अन्य क्षेत्र में के प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की अर्हताएं और अनुभव ; (ग) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के अन्य अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के कृत्य, शक्तियां और सेवा के निबंधन और शर्तें ; (घ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसकी बाबत केंद्रीय सरकार द्वारा, नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है, ।

2. खंड 53 का उपखंड (1) राज्य सरकारों को प्रस्तावित विधान के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है। उपखंड (2) में वे विषय विनिर्दिष्ट हैं, जिनके संबंध में नियम बनाए जा सकेंगे। इन विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, (क) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन राज्य समिति की बैठकों का समय और स्थान तथा ऐसी बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ; (ख) धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन राज्य समिति की बैठकों पर उपगत व्यय ; (ग) धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन राज्य समिति या उसकी उपसमितियों के विशेषज्ञ सदस्यों या आमंत्रित विशेषज्ञों को संदत फीस और भते ; (घ) धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन राज्य बांध सुरक्षा संगठन का संगठनात्मक ढांचा और कार्य प्रक्रिया ; (ङ) धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन बांध सुरक्षा के क्षेत्र में या ऐसे अन्य क्षेत्र में के प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की अर्हताएं और अनुभव ; (च) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन राज्य बांध सुरक्षा संगठन के कर्मचारियों के कृत्य, शक्तियां और सेवा के निबंधन और शर्तें ; (छ) धारा 46 के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों से भिन्न बांधों के संबंध में बांध सुरक्षा उपाय ; (ज) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसकी बाबत राज्य सरकार द्वारा, नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है, सम्मिलित हैं।

3. खंड 54 का उपखंड (1) राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण को प्रस्तावित विधान के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्रस्तावित विधान और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम बनाने हेतु सशक्त करता है। उपखंड (2) में वे विषय विनिर्दिष्ट हैं, जिनके संबंध में ऐसे विनियम बनाए जा सकेंगे। इन विषयों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

(क) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन बांध सुरक्षा आश्वासन का संतोषजनक स्तर प्राप्त करने के लिए मानक मार्गदर्शक सिद्धांत और अन्य निदेश ; (ख) धारा 17 के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों की भेद्यता और परिसंकट वर्गीकरण के लिए मानदंड ; (ग) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन लॉग

पुस्तिकाओं या डाटा बेस के अनुरक्षण से संबंधित ब्यौरे और प्ररूप ; (घ) धारा 23 के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की अर्हताएं और अनुभव ; (ङ) धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों के अन्वेषण, डिजाइन और संनिर्माण के प्रयोजन के लिए सक्षम इंजीनियरों का नियोजन और उनकी अर्हताएं और अनुभव ; (च) धारा 26 की उपधारा (5) के अधीन बांध संनिर्माण के प्रयोजन के लिए क्वालिटी नियंत्रण उपाय ; (छ) धारा 30 के अधीन बांध सुरक्षा इकाइयों के लिए सक्षम इंजीनियरों का स्तर ; (ज) धारा 31 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों के निरीक्षण के लिए जांच सूचियां ; (झ) धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों में उपस्कर सेटों की न्यूनतम संख्या और उनके प्रतिष्ठापन की रीति ; (ञ) धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन राज्य बांध सुरक्षा संगठन को पाठ्यांकन का विश्लेषण भेजने का प्ररूप, रीति और समय अंतराल ; (ट) धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों के आसपास जल-मौसम विज्ञान केन्द्रों की आंकड़ों की अपेक्षाएं ; (ठ) धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों के आसपास भूकंप-विज्ञानी केन्द्रों की आंकड़ों की अपेक्षाएं ; (ड) धारा 34 की उपधारा (2) के अधीन डाटा संग्रहण, संकलन, प्रकमण और भंडारण का उपयुक्त स्थान और रीति ; (ढ) धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन किए जाने वाले जोखिम निर्धारण अध्ययनों का समय अंतराल ; (ण) धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन आपात कार्य योजना को अद्यतन करने के लिए समय अंतराल ; (त) धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों के व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन के लिए समय अंतराल ; (थ) धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन विद्यमान विनिर्दिष्ट बांधों के बाढ़ संबंधी डिजायन का आजापक पुनर्विलोकन ; (द) धारा 38 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन विद्यमान विनिर्दिष्ट बांधों का आजापक स्थल विनिर्दिष्ट भूकंप-विज्ञानी पैरामीटर अध्ययन ; (ध) ऐसे उपाय, जो धारा 45 के अधीन विनिर्दिष्ट बांधों से भिन्न बांध के प्रत्येक स्वामी द्वारा बांध सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनावश्यक हों ; (न) कोई अन्य विषय, जो विनिर्दिष्ट किया जाना है या जिसकी बाबत राष्ट्रीय समिति द्वारा विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

4. वे विषय, जिनके संबंध में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा नियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।